



7वीं वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

इरकाँन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

(इरकाँन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

विजन एवं मिशन

विजन

मध्यप्रदेश राज्य में किमी 236.000 से किमी 332.100 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी - गुना खंड को चार लेन का बनाने की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और संचालन तथा सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करके राजमार्ग प्रयोक्ताओं की सुरक्षा व आराम को सुनिश्चित करना।

मिशन

- (i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।
- (ii) परियोजना के कुशल नियोजन और सतर्क मॉनीटरिंग का कड़ाई से अनुपालन करके निर्माण और अनुरक्षण की लागत को मितव्ययी बनाने के लिए सृजनात्मक निर्माण तकनीकों का प्रयोग।
- (iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।
- (iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
कंपनी का परिचय	4
अध्यक्ष का संबोधन	7
निदेशक की रिपोर्ट व उसके अनुबंध	
निदेशकों की रिपोर्ट	11
वार्षिक रिटर्न का सार (फॉर्म एमजीटी-9)	27
संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म एओसी-2)	36
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	38
वित्तीय विवरण	
सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	44
तुलन पत्र	61
लाभ और हानि विवरण	62
रोकड़ प्रवाह विवरण	63
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	65
वित्तीय विवरणों के नोट	67
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	143

निदेशक मंडल

(अंशकालीन निदेशक)



श्री अशोक कुमार गोयल
अध्यक्ष




श्री पराम वर्मा
निदेशक



श्री मसूद अहमद
निदेशक



श्री रोहित परमार
निदेशक



सुश्री रितु अरोड़ा
निदेशक

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री अतुल कुमार
श्रीमती रचना तोमर
सुश्री इति माटा

: मुख्य कार्यपालक अधिकारी
: मुख्य वित्त अधिकारी
: कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स रवी राजन कंपनी, एलएलपी
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स
सचिवीय लेखाकार
नई दिल्ली

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी
लागत लेखाकार
नई दिल्ली

बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली
भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली - 110017
दूरभाष : 91-11-26545785

परियोजना

राष्ट्रीय राजमार्ग-3,
शिवपुरी गुना टोलवे,
मध्य प्रदेश

फैक्स : 91-11-26854000, 26522000

ई-मेल: cs.irconsgtl@gmail.com

सीआईएन :U45400DL2015GOI280017



परियोजना फोटोग्राफ

(राष्ट्रीय राजमार्ग-3, शिवपुरी गुना टोलवे, मध्य प्रदेश)



अध्यक्ष का संबोधन
(7वीं एजीएम - 23 अगस्त 2022)



प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए और वित्तीय वर्ष (वि.व) 2021-22 के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे, सभी शेयरधारकों को पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

मैं आपके सामने इरकॉनएसजीटीएल के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य रखना चाहता हूँ।

आपकी कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और वर्ष 2015 में इरकॉन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के साथ किए गए रियायत समझौते के संदर्भ में एक रियायती के रूप में इसका निगमन, मध्य प्रदेश राज्य में किमी 236.00 से किमी 332.100 (97.74 किमी) तक, "एनएच-3 के शिवपुरी गुना खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना को निष्पादित करने के लिए विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में किया गया था। परियोजना की रियायत अवधि, 'नियुक्त तिथि' अर्थात दिनांक 25 जनवरी 2016 से शुरू होकर अगले 20 वर्ष तक की है। परियोजना को दो चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। परियोजना के चरण-I (85.31 किमी लंबाई) के लिए

वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) इसकी 'निर्धारित तिथि' से पहले प्राप्त की गई थी। दिनांक 6 जून 2018 को समापन और उसके बाद टोल प्लाजा का संचालन और राजस्व संग्रह शुरू किया गया है। परियोजना के चरण-II (12.39 किमी) का निर्माण उत्तरोत्तर किया जा रहा है और कंपनी ने 10.39 किमी की उपलब्ध भूमि के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है, जिसके सितंबर 2022 में प्राप्त होने की संभावना है।

कोविड-19 महामारी के प्रभाव से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए थे। सरकार की इस प्रतिबद्धता के साथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक ठेकेदारों, रियायतग्राहियों और सड़क क्षेत्र के विकासकर्ताओं को कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव से राहत प्रदान की है। सरकार की इन पहलों के तहत, कोविड-19 वैश्विक महामारी की पहली लहर की 'अप्रत्याशित घटना' के कारण राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए आपकी कंपनी को जुलाई, 2021 में एनएचएआई द्वारा राहत के रूप में 29.835 दिनों का समय-विस्तार दिया गया है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहर और उसके बाद, मानसून के प्रभाव के कारण, परियोजना के चरण-II का निर्माण प्रभावित हुआ और राहत के रूप में एनएचएआई से 'कार्य समापन की अनुसूची तिथि' में समय-विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है। यह मामला एनएचएआई के विचाराधीन है और शीघ्र ही प्रतिक्रिया प्राप्त होने की आशा है।

वित्तीय निष्पादन

आपकी कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 110.78 करोड़ रूपए की तुलना में 120.75 करोड़ रूपए के टोल परिचालन से राजस्व प्राप्त किया है, जिसमें 9.35% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए करपूर्व हानि 12.05 करोड़ रूपए है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यह हानि 14.06 करोड़ रूपए थी, जो इसमें 14.30% की कमी को दर्शाती है।

कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने दिनांक 28 मार्च, 2022 को इरकॉन से प्राप्त 501 करोड़ रुपये के रक्षित ऋण की बकाया राशि का भुगतान किया है। इसका पुनर्भुगतान, दिनांक 28 मार्च, 2022 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से प्राप्त 501 करोड़ के पुनर्वित्त अवधि ऋण सुविधा / रक्षित ऋण की आय से किया गया था। इरकॉन ने उक्त पुनर्वित्त ऋण के लिए बैंक के पक्ष में कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है।

अनुपालन और प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट गवर्नेंस: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन और प्रकटीकरण और इसके संबंधित नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आपकी कंपनी को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई होने के परिणामस्वरूप, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

समझौता ज़ापन: आपकी कंपनी ने धारक कंपनी से अनुरोध किया है कि वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज़ापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से डीपीई (रेल मंत्रालय के माध्यम से) से छूट प्रदान की जाए।

भावी यात्रा

परियोजना के टोल संचालन से उत्पन्न राजस्व का उद्देश्य परिचालन लागत, ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान और वित्तपोषण लागत को पूरा करना है। परियोजना के दूसरे चरण के लिए सीओडी के बाद, भावी वर्षों में टोल राजस्व में वृद्धि होने की आशा है, जब परियोजना का पूर्ण संचालन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, भारत सरकार/एनएचएआई द्वारा राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध यात्रा, बेहतर अवसंरचना और सम्पर्कता सुनिश्चित करने के लिए की गई पहल जैसे 'भारत निर्माण' कार्यक्रम सभी असंबद्ध गांवों को उचित मौसम सड़कों से जोड़ने, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में सुधार के उपायों आदि से टोल संचालन की दक्षता और कंपनी के भावी विकास में मदद मिलेगी।

आभारोक्ति

मैं निदेशक मंडल की ओर से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और एनएचएआई द्वारा कंपनी को दी गई बहुमूल्य सहायता और सहयोग एवं कंपनी को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त, मैं धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों, बैंकरों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं।

मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों और कंपनी के कर्मचारियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आगे की यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं।

कृते और उनकी ओर से
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

ह/-
(अशोक कुमार गोयल)
अध्यक्ष
[डीआईएन: 05308809]

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 7वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय विशेषताएं:

पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति के साथ दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वि.व.) के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय मापदंड	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	टोल प्रचालनों से राजस्व	120.75	110.78
2	निर्माण संविदा राजस्व	20.69	-
3	निर्माण सेवाओं से राजस्व (कार्यक्षेत्र और अन्य कार्या में परिवर्तन)	2.07	-
4	अन्य प्रचालनिक राजस्व	0.35	0.35
5	अन्य आय	0.21	0.38
6	कुल आय [(1) + (2)]	144.07	111.16
7	परियोजना व्यय	71.05	40.11
8	प्रशासनिक व्यय (वित्तीय लागत मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि सहित)	85.01	84.96
9	अन्य व्यय	0.06	0.15
10	कुल व्यय [(4) + (5) + (6)]	156.12	125.22
11	कर पूर्व लाभ/(हानि) [(3) – (7)]	(12.05)	(14.06)
12	कर पश्चात लाभ/(हानि)	(12.05)	(14.06)

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

2. परिचालन और वित्तीय निष्पादन:

आपकी कंपनी को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) और इरकॉन पब्लिक लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में दिनांक 12 मई, 2015 को निगमित किया गया है और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। आपकी कंपनी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजना अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य में एनएचडीपी चरण-IV के तहत अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) पैटर्न के आधार पर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर एनएच-3 के शिवपुरी-गुना सेक्शन के 236.00 किमी से 332.100 किमी को चार लेन का बनाना, जिसकी कुल लंबाई लगभग 97.70 किमी. को निष्पादित कर रही है। दिनांक 27 मई 2015 को व्यवसाय आरंभ हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया है। दिनांक 15 जून 2015 के रियायत समझौते के अनुसार, एनएचएआई ने 'नियुक्त तिथि' अर्थात् 25 जनवरी, 2016 से 20 वर्षों (निर्माण अवधि सहित) के लिए परियोजना ("रियायत") के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव का अधिकार दिया है। इसका स्तरोन्नयन दो चरणों में किया जाना है अर्थात् चरण-1 जिसकी लंबाई 85.31 किलोमीटर (अर्थात् 236.000 किलोमीटर से 319.700 किलोमीटर तक) है। जिसकी निष्पादन अवधि 910 दिनों (30 महीने) है और चरण-2 जिसकी लंबाई 12.39 किलोमीटर (किमी 319.700 से किमी 332.100) है जिसकी निष्पादन अवधि 12 महीने है।

परियोजना के निष्पादन के लिए स्वीकृत कुल लागत 872.11 करोड़ रूपए है, और इसे 150 करोड़ रूपए की इक्विटी शेयर पूंजी (इरकॉन द्वारा धारित 100%) और 722.11 करोड़ रूपए के ऋण के रूप में आवंटित किया गया था, जिसे आरंभ में इरकॉन द्वारा ऋण के रूप में अनुमोदित किया गया था और आंशिक रूप से इरकॉनएसजीटीएल द्वारा प्राप्त किया गया था। आपकी कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा रक्षित ऋण का ब्यौरा, नीचे पैरा संख्या-5 पर रिपोर्ट में 'रक्षित ऋण और रेटिंग' के पैरा में दिया गया है।

एनएचएआई और इरकॉनएसजीटीएल के बीच दिनांक 15 जून, 2015 को किए गए रियायत समझौते के अनुसार, निर्धारित रियायत अवधि दिनांक 24 जनवरी, 2036 तक थी। हालांकि, कोविड-19 वैश्विक महामारी की पहली और दूसरी लहर को देखते हुए, देशव्यापी तालाबंदी और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में एमओआरटीएच/ एनएचएआई द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह को रोक दिया गया था। कोविड-19 महामारी की पहली लहर, के कारण, दिनांक 26 मार्च, 2020 से 19 अप्रैल, 2020 की अवधि में आपकी कंपनी ने 'अप्रत्याशित घटना' की वजह से भारत सरकार/एमओआरटीएच/एनएचएआई द्वारा जारी लागू नीतिगत दिशानिर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले रियायत समझौते के प्रावधान के अनुसार एनएचएआई से राहत का दावा किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, जुलाई 2021 में, एनएचएआई ने राहत के रूप में रियायत अवधि को 29.835 दिनों (33.62 दिनों के

दावे के प्रति) की शुद्ध अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रत्याशित घटना' के कारण, आपकी कंपनी द्वारा एनएचएआई से राहत हेतु अनुरोध किया गया था। तदनुसार, स्वतंत्र अभियंता ने एनएचएआई को राहत के रूप में 10.89 दिनों (12.06 दिनों के दावे के प्रति) की शुद्ध अवधि के लिए रियायत अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है, जो एनएचएआई के पास विचाराधीन है।

चरण-I परियोजना: चरण-I परियोजना के लिए वित्तीय मॉडल में आवंटित कुल लागत 759.98 करोड़ है, जिसके लिए इरकॉन को 642 करोड़ रूपए की मूल ईपीसी लागत पर ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) 23 जुलाई, 2018 थी, अर्थात दिनांक 25 जनवरी, 2016 की 'नियुक्त तिथि' से 910 दिनों के भीतर। परियोजना के चरण-I के लिए सीओडी को, निर्धारित समय से डेढ़ महीने पहले दिनांक 6 जून 2018 को (हालांकि 23 जुलाई 2018 को निर्धारित) प्राप्त किया गया था। चरण-I परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने और स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनन्तिम समापन प्रमाणपत्र दिए जाने के पश्चात टोल प्लाजा का प्रचालन एवं राजस्व वसूली का कार्य दिनांक 07 जून, 2018 से प्रारंभ कर दिया गया है। एनएचएआई द्वारा परियोजना के चरण-I के लिए समापन प्रमाणपत्र दिनांक 27 सितंबर 2018 को जारी किया गया था। दिनांक 07 जून, 2018 से 31 मार्च, 2022 तक टोल प्रचालन से एकत्रित राजस्व 398.23 करोड़ रूपए है। यह परियोजना, वर्तमान में, चरण-I परियोजना के संबंध में प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) चरण में है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, टोल शुल्क और यातायात में वृद्धि के कारण टोल संचालन से प्राप्त राजस्व में 9.35% की वृद्धि हुई है जो वित्त वर्ष 2021-22 में 110.43 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 120.75 करोड़ रूपए हो गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल राजस्व 144.07 करोड़ रूपए है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 111.16 करोड़ रूपए की तुलना में 29.61% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए करपूर्व हानि 12.05 करोड़ रूपए थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के लिए यह हानि 14.06 करोड़ रूपए थी, जो हानि में 14.30% की कमी को दर्शाता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)/एनएचएआई ने हाइब्राइड इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) कार्यक्रम के तहत दिनांक 16 फरवरी, 2021 से पुरनखेड़ी टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क (अर्थात 100% ई-टोलिंग) के कैशलेस संग्रह की शुरुआत की गई है और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान टोल प्लाजा पर फास्टेग का प्रयोग 98% रहा।

चरण-II परियोजना: चरण-II परियोजना के लिए वित्तीय मॉडल में आवंटित कुल लागत 112.12 करोड़ रूपए है, जिसके लिए इरकॉन को दिनांक 01 जनवरी, 2021 को लागत जमा आधार पर

ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। निर्माण के लिए समापन अवधि, चरण-II परियोजना की कार्य अवार्ड पत्र या साइट को सौंपने के 12 महीने, जो भी बाद में हो, निर्धारित की गई है। दिनांक 21 फरवरी, 2021 को एनएचएआई द्वारा साइट (12.39 किलोमीटर की लंबाई) सौंपे जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तत्पश्चात, एनएचएआई / स्वतंत्र अभियंता (आईई) ने सूचित किया है कि 12.39 किलोमीटर की कुल लंबाई को निष्पादित किया जाना है। चरण-II के अंतर्गत 10.39 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण कार्य किया जा रहा है, और एक वाहन अंडर पास (वीयूपी) / एक बॉक्स पुलिया के निर्माण कार्य का निष्पादन दो स्थानों पर अर्थात् किमी 320+100 पर बाईपास के आरंभ में और किमी 332+100 पर बाईपास के अंत में निष्पादित किया जाना है, जिसे सीओएस (क्षेत्र परिवर्तन) के तहत किया जाना है, जिसके लिए आईई को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और परियोजना निदेशक, एनएचएआई द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई है।

हालाँकि, वर्ष की समाप्ति के बाद, दिनांक 27 जुलाई, 2022 को स्वतंत्र इंजीनियर ने रियायत समझौते के अनुसार शेष 2 किमी के भाग पर कार्य आरंभ करने की सूचना दी है।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसके बाद मानसून की अप्रत्याशित घटना के कारण, परियोजना के चरण-II का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। तदनुसार, ईपीसी ठेकेदार के अनुरोध के आधार पर, इरकॉनएसजीटीएल ने स्वतंत्र अभियंता से 'समापन की अनुसूची तिथि' में 180 दिनों की अवधि के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। स्वतंत्र अभियंता ने एनएचएआई को 91 दिनों की अवधि अर्थात् दिनांक 21 फरवरी, 2022 से 22 मई, 2022 तक समय बढ़ाने की सिफारिश की है, जो एनएचएआई द्वारा प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति के और उसके परिणामी प्रभाव, कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के प्रभाव, लागू परमिट जारी करने में देरी, मौजूदा सड़कों को मजबूत करने और पुनर्वास कार्यों के कारण विलंब हुआ। वर्ष की समाप्ति के बाद, आपकी कंपनी ने स्वतंत्र अभियंता से 320 दिनों की अवधि (180 दिनों से ऊपर के अलावा) अर्थात् 21 फरवरी, 2021 से 06 जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए 'समापन की अनुसूची तिथि' में समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है, जो स्वतंत्र अभियंता/एनएचएआई के विचाराधीन है। चरण-II परियोजना के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र जुलाई / अगस्त 2022 में अपेक्षित है।

3. शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रूपए है, जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास इरकॉनएसजीटीएल की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी बनी हुई है।

4. लाभांश, आरक्षित और निवल मूल्य:

निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को रिजर्व में 88.30 करोड़ रूपए के ऋणात्मक शेष पर विचार करने के पश्चात, आपकी कंपनी की कुल संपत्ति 61.70 करोड़ रूपए है।

5. रक्षित ऋण और रेटिंग :

आपकी कंपनी की 722.11 करोड़ रूपए की संपूर्ण ऋण आवश्यकता को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समायोजित करके, परियोजना का वित्तीय समापन प्राप्त किया गया था। आपकी कंपनी ने इरकॉन से कुल 579.59 करोड़ रूपए का ऋण लिया था और दिनांक 28 मार्च, 2022 तक बकाया शेष राशि 501 करोड़ रूपए थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने एनएचएआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, दिनांक 28 मार्च, 2022 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से 501 करोड़ रूपए के पुनर्वित्तीय ऋण सुविधा/रक्षित ऋण का लाभ उठाया है ताकि धारक कंपनी के मौजूदा बाकाया ऋण का निपटान किया जा सके। इरकॉन ने उक्त पुनर्वित्त ऋण के लिए एसबीआई के पक्ष में कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है। इरकॉन से प्राप्त 501 करोड़ रूपए की बकाया राशि का दिनांक 28 मार्च, 2022 को पूरा भुगतान किया गया था।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड ने आपकी कंपनी को 501 करोड़ रूपए की दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं के लिए 'केयर एएए (सीई)' रेटिंग प्रदान की है। 499.86 करोड़ रूपए (501 करोड़ से रूपए से आवर्धित) की बकाया दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं के लिए जुलाई 2022 में उक्त रेटिंग की पुष्टि की गई थी।

6. वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

7. कोविड-19 के प्रभाव पर विवरण:

कंपनी ने नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए सभी निर्धारित सावधानियां बरती हैं। वित्तीय विवरणों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के विवरण का प्रकटन किया गया है।

8. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित विवरण निम्नानुसार हैं:

क. ऊर्जा का संरक्षण:

- (i) ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदम या प्रभाव - शून्य
- (ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम - 1 लाख रूपए की कुल लागत पर परियोजना खंड में सौर ऊर्जा संचालित बिलंकर स्थापित किए गए थे।
- (iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश - शून्य

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: लागू नहीं

- (i) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में प्रयास किए गए;
- (ii) इससे प्राप्त लाभ जैसे उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन;
- (iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात को वित्तीय वर्ष के आरंभ से गिना जाएगा) ;
- (क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा;
- (ख) आयात का वर्ष;
- (ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से समाहित कर लिया गया है;
- (घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके क्या कारण हैं; तथा
- (iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय।

ग. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय और व्यय: लागू नहीं

- (i) अर्जित विदेशी मुद्रा
- (ii) विदेशी मुद्रा व्यय

9. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी):

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां नहीं की गईं।

10. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का विवरण:

निदेशक:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, धारक कंपनी ने दिनांक 13 मई, 2021 को श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं), इरकॉन के स्थान पर श्री योगेश कुमार मिश्रा [डीआईएन: 07654014], अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरकॉन को आपकी कंपनी के अध्यक्ष (अंशकालिक नामित) के रूप में नामित किया था। श्री योगेश कुमार मिश्रा, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 तक अध्यक्ष के पद पर रहे और उसके बाद दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से धारक कंपनी द्वारा नामांकन में परिवर्तन के अनुसार, श्री अशोक कुमार गोयल [डीआईएन: 05308809] को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इरकॉन (होलिडिंग कंपनी) द्वारा नामांकन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप श्री देवेंद्र कुमार शर्मा [डीआईएन: 08556821] दिनांक 02 अगस्त, 2021 से कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त हो गए। इसके अतिरिक्त, धारक कंपनी ने दिनांक 13 मई, 2021 को सुश्री रितु अरोड़ा

[डीआईएन: 00002455], कंपनी सचिव इरकॉन को निदेशक के रूप में नामित किया है, श्री मसूद अहमद [डीआईएन: 09008553], मुख्य महाप्रबंधक (सिविल), इरकॉन को 02 अगस्त, 2021 को निदेशक के रूप में; और श्री पराग वर्मा [डीआईएन: 05272169], कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना), इरकॉन को 29 दिसंबर 2021 को निदेशक के रूप में नामित किया है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं	नाम	पद
1.	श्री अशोक कुमार गोयल [डीआईएन: 05308809]	अध्यक्ष
2.	श्री पराग वर्मा [डीआईएन: 05272169]	निदेशक
3.	श्री सुरजीत दत्ता [डीआईएन: 06687032]	निदेशक
4.	श्री मसूद अहमद [डीआईएन: 09008553]	निदेशक
5.	सुश्री रितु अरोड़ा [डीआईएन: 00002455]	निदेशक

कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, श्री अशोक कुमार गोयल, (डीआईएन : 05308809) अध्यक्ष, आपकी कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और उन्होंने पात्र होने के कारण, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया है। निदेशक मंडल, निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है और उनका संक्षिप्त विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

वर्ष की समाप्ति के बाद, धारक कंपनी ने दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्री मुगुनथन बोजू गौड़ा [डीआईएन: 08517013], कार्यकारी निदेशक (वित्त), इरकॉन को, श्री सुरजीत दत्ता [डीआईएन: 06687032] के स्थान पर निदेशक के रूप में नामित किया है। तत्पश्चात, 01 जून 2022 को श्री मुगुनथन बोजू गौड़ा के स्थान पर श्री रोहित परमार [डीआईएन: 08190141], मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), इरकॉन को निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री पराग वर्मा और श्री रोहित परमार को अपर निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को कंपनी की आगामी 7वीं वार्षिक आम बैठक में नियमित करने का प्रस्ताव है और इसे आगामी एजीएम के नोटिस में शामिल किया गया है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अतुल कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
2.	श्री विनय कुमार आहूजा	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
3.	सुश्री इति माटा	कंपनी सचिव (सीएस)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इरकॉनएसजीटीएल में निदेशक के रूप में नामांकन के कारण, 02 अगस्त 2021 से श्री मसूद अहमद सीईओ और केएमपी नहीं रहे और उनके स्थान पर धारक कंपनी द्वारा श्री अतुल कुमार को मनोनीत किया गया। श्री अतुल कुमार को बोर्ड द्वारा सीईओ और केएमपी के रूप में 03 अगस्त 2021 से नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, श्री संजीव कुमार गुप्ता 01.07.2021 से कंपनी के सीएफओ और केएमपी नहीं रहे और श्री विनय कुमार आहूजा को 01 जुलाई 2021 से कंपनी के सीएफओ और केएमपी के रूप में नामित किया गया था।

श्री विनय कुमार आहूजा 31 मार्च, 2022 को कंपनी के सीएफओ नहीं रहे और उनके स्थान पर श्रीमती रचना तोमर को धारक कंपनी द्वारा सीएफओ के रूप में नामित किया गया है। वर्ष की समाप्ति के बाद, श्रीमती रचना तोमर को बोर्ड द्वारा 01 अप्रैल 2022 को कंपनी के सीएफओ और केएमपी के रूप में नियुक्त किया गया है।

11. निदेशक मंडल की बैठकें, एजीएम और निदेशकों की उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सात (7) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं अर्थात् दिनांक 22 जून, 2021; 19 जुलाई, 2021; 10 अगस्त, 2021; 08 अक्टूबर, 2021; 08 नवंबर, 2021, 08 फरवरी, 2022 और 31 मार्च, 2022 को। बोर्ड की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जिसमें दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का समय अंतराल नहीं होता है। दिनांक 22 जून, 2021 को आयोजित एक बैठक को छोड़कर, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी, बोर्ड की सभी बैठकें भौतिक रूप से आयोजित की गईं थीं। निदेशक मंडल की सभी बैठकें और वार्षिक आम बैठक, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गईं थीं। बोर्ड की बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	22.06.2021	5	5
2.	19.07.2021	5	4
3.	10.08.2021	5	5
4.	08.10.2021	4	4
5.	08.11.2021	4	3

6.	08.02.2022	5	4
7.	31.03.2022	5	5

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशकों की उपस्थिति								
क्र.सं	बाई बैठक/ एजीएम की तारीख	श्री अशोक कुमार गोयल	श्री योगेश कुमार मिश्रा (01.10.202 1 तक)	श्री सुरजीत दत्ता	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (02.08.202 1 तक)	सुश्री रितु अरोड़ा	श्री पराग वर्मा (29.12.202 1 से)	श्री मसूद अहमद (02.08.2021 से)
1	22.06.2021	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
2	19.07.2021	✓	✓	✓	अनुपस्थित	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
3	10.08.2021	✓	✓	✓	लागू नहीं	✓	लागू नहीं	✓
4	08.10.2021	✓	लागू नहीं	✓	लागू नहीं	✓	लागू नहीं	✓
5	08.11.2021	अनुपस्थित	लागू नहीं	✓	लागू नहीं	✓	लागू नहीं	✓
6	08.02.2022	✓	लागू नहीं	अनुपस्थित	लागू नहीं	✓	✓	✓
7	31.03.2022	✓	लागू नहीं	✓	लागू नहीं	✓	✓	✓
8.	एजीएम - 18.08.2021	✓	✓	✓	लागू नहीं	✓	लागू नहीं	✓

एनए - उक्त तिथि के अनुसार निदेशक नहीं है।

एल/ए - अनुपस्थित।

12. स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल की समितियां और इनसे संबंधित छूट:

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुसार, गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां, जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता से छूट दी गई है। साथ ही, कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 की धारा 177(1), 178(1) और नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार 'लेखापरीक्षा समिति' और 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' के गठन की आवश्यकता ऐसी कंपनियों पर लागू नहीं है।

इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित दिनांक 11 जुलाई 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को, सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई

दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है।

तदनुसार, इरकॉनएसजीटीएल, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, और स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा भी लागू नहीं होती है। इसके अलावा, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन भी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

13. निष्पादन मूल्यांकन:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के संदर्भ में, बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134 (3) (पी) के प्रावधान, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के उप-नियम 4 और धारा 178 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होता है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा अपने स्वयं के मूल्यांकन पद्धति के अनुसार, किया जाता है जो कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी हैं।

इरकॉनएसजीटीएल एक सरकारी कंपनी है और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आपकी कंपनी के सभी निदेशकों को होल्डिंग कंपनी द्वारा नामित किया जाता है, जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा मूल्यांकन के अधीन हैं।

14. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं हैं।

15. जोखिम प्रबंधन:

बोर्ड को कंपनी के व्यवसाय के लिए किसी बड़े खतरे/जोखिम की आशंका नहीं है।

16. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयुक्तता:

कंपनी के संचालन के आकार को ध्यान में रखते हुए कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। कंपनी वित्तीय विवरणों में खाता बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है।

कंपनी ने सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) की एक स्वतंत्र फर्म को आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की प्रणाली और पद्धतियों को कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति से मेल खाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के साथ डिजाइन किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षक परिचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अर्धवार्षिक लेखा परीक्षा और उसकी समीक्षा करते हैं। प्रबंधन की

प्रतिक्रियाओं के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को चर्चा और आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

17. कर्मचारियों का विवरण:

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी में 11 कर्मचारी हैं, जिसमें धारक कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्त के 6 कर्मचारी शामिल हैं, जो नियमित आधार पर हैं, और 5 कर्मचारी आपकी कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 के जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) और इससे संबंधित नियमों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट, बोर्ड की रिपोर्ट में प्रबंधकीय पारिश्रमिक और अपेक्षाओं से संबंधित प्रकटीकरण संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं। तदनुसार, ऐसे विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं हैं।

कंपनी के निदेशकों को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। केएमपी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटन 'वार्षिक रिटर्न के सार' में किया गया है।

18. सतर्कता तंत्र:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित सतर्कता तंत्र की स्थापना के संबंध में, निदेशक मंडल ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित समस्याओं को रिपोर्ट करने और तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों और निदेशकों के लिए सतर्कता तंत्र को अनुमोदन प्रदान किया है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति के गठन की आवश्यकता, कंपनी पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार, निदेशक मंडल ने सतर्कता तंत्र के उद्देश्य से एक निदेशक को नामित किया है, जिसे अन्य निदेशक और कर्मचारी अपनी समस्याओं से अवगत कर सकते हैं।

आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए सतर्कता तंत्र के तहत,

(क) धारक कंपनी से नामित/प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण इरकॉन (धारक कंपनी) की 'व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी' के अनुसार किया जाएगा, जो कि इरकॉन की वेबसाइट https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=hi पर उन अधिकारियों के नाम और अन्य विवरणों के साथ उपलब्ध है, जिन्हें शिकायतें संबोधित की जानी हैं।

(ख) कंपनी में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के लिए, शिकायतों को निम्नलिखित अधिकारी को संबोधित किया जाएगा:

श्री मसूद अहमद, निदेशक,

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल)

पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017

फोन नंबर: +91-011-26545410

ईमेल आईडी: masood.ahmad@ircon.org

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी और किसी भी व्यक्ति को कंपनी द्वारा निर्धारित उपरोक्त नामित अधिकारियों/सतर्क तंत्र तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

19. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा:

समीक्षाधीन वर्ष के आरंभ में या वर्ष के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत लंबित या प्राप्त नहीं हुई थी।

आपकी कंपनी ने धारक कंपनी, इरकॉन द्वारा तैयार की गई 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' (पीओएसएच नीति) को अपनाया है, जो धारक कंपनी की

वेबसाइट

पर

https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=hi लिंक पर उपलब्ध है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत मामलों से निपटने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ इसके निकटतम परियोजना कार्यालय में गठित इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) इरकॉनएसजीटीएल की आंतरिक शिकायत समिति होगी।

20. समझौता ज्ञापन:

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए इरकॉन और इरकॉनएसजीटीएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए डीपीई से छूट प्राप्त करने हेतु रेल मंत्रालय के माध्यम से धारक कंपनी से अनुरोध किया है।

21. एमएसएमई अनुपालन:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निदेश जारी किए हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से अधिक है और सभी सीपीएसई को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीडीएस) प्लेटफॉर्म पर स्वयं को ऑन-बोर्ड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निदेशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, कंपनी टीआरडीडीएस प्लेटफॉर्म पर दिनांक 16 दिसंबर, 2019 से शामिल हो गई है, ताकि उनकी प्राप्य राशि में छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की प्राप्ति द्वारा एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को सुलभ बनाया जा सके।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एमएसएमई से वार्षिक खरीद लक्ष्यों का अनुपालन किया गया है।

22. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद- 134(3)(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

- (क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है;
- (ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके;
- (ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है;
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे "निरंतर" आधार पर तैयार किए हैं; और
- (ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

23. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स पी.आर. कुमार एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 003186एन) को नियुक्त किया।

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट' के तहत ध्यान आकर्षित करते हुए रिपोर्ट दी है। अवलोकन और इस पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है -

31.02.2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
टोलवे प्लाजा के संचालन के लिए कंपनी के पास स्वतंत्र सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम "कॉम्बिजन टोलवे मैनेजमेंट सिस्टम" है और हमने अवलोकन किया है कि कंपनी के पास और अधिक मजबूत नियंत्रण होना चाहिए ताकि कंपनी को ओवरवैट प्रभावों के संबंध में	समग्र आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में सुधार करने के लिए कमियों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की समीक्षा की गई है। टीएमएस (टोल प्रबंधन प्रणाली) को वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित सुधारों के लिए अद्यतन किया गया है:

<p>राजस्व की हानि न हो।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. कई बार त्रुटिपूर्ण रूप से यह प्रणाली, मानक वजन को "शून्य" के रूप में दिखाती है। सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है और अब यह समस्या समाप्त हो गई है। अब तक इस शून्य-भार के कारण ओवरवेट की वजह से राजस्व हानि के मुद्दों का निवारण किया गया है। 2. ओवरवेट प्रभार के संबंध में सरकारी विभाग द्वारा डब्ल्यूआईएम और एसडब्ल्यूबी का समय पर कैलिब्रेशन किया गया है। 3. इंटरनेट की स्पीड 4एमबीपीएस से बढ़ाकर 10एमबीपीएस कर दी गई है। इससे टैग पढ़ने की क्षमता में सुधार हुआ है। 4. ईटीसी (इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह) लेनदेन का समय पर ऑडिट सुनिश्चित किया गया है। 5. टैगों की ब्लैकलिस्टिंग के कारण राजस्व हानियों की निगरानी के लिए, आईसीडी 2.5 को लागू किया गया है। 6. फास्टैग को तेजी से पढ़ने के लिए आरएफआईडी रीडर का स्थान बदल दिया गया है। 7. टीएमएस को आईएचएमसीएल, नई दिल्ली के टीएमसीसी (टोल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि लेनदेन की वास्तविक समय निगरानी और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भौतिक फिटनेस हो सके।
-----------------------------	---

लागत लेखापरीक्षक:

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-148 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने लागत खाते और रिकॉर्ड बनाए रखा है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया था।

आंतरिक लेखाकार:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स रवि रंजन कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मेसर्स रवि रंजन कंपनी एलएलपी ने अर्ध-वार्षिक आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा की थी और निदेशक मंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

सचिवीय लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-204 और कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान के अनुसार, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स वशिष्ट एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (सीपी संख्या 21476), को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल अवलोकन शामिल नहीं है और यह इस रिपोर्ट का भाग है।

24. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक समीक्षा:

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए.जी) की टिप्पणियाँ प्राप्त हो गए हैं और वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न हैं।

25. रिपोर्ट के अनुबंध :

निम्नलिखित प्रमाणपत्र/रिपोर्टें, आदि संलग्न की गई हैं और ये इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग हैं:

क. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-92(3), धारा-134(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम-12 के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार, वार्षिक रिटर्न का उद्धरण, फॉर्म संख्या एमजीटी-9, इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध-क' के रूप में संलग्न है।

ख. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन होल्डिंग कंपनी, इरकॉन के साथ और इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अनुमोदित किया गया था। ये संव्यवहार आर्म लेंथ आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध-ख' के रूप में संलग्न है।

ग. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट: मैसर्स वशिष्ट एंड एसोसिएट्स द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध-ग' के रूप में संलग्न है।

26. अन्य प्रकटन:

- (i) आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।
- (ii) आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान जनसाधारण से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- (iii) आपकी कंपनी की कोई सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।
- (iv) दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (v) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान डीपीई से हस्तांतरित आरटीआई आवेदनों का विधिवत उत्तर दिया गया था।

- (vi) नियामकों/अदालतों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था, जो कंपनी के गोज़िंग कंसर्न स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के कोई उदाहरण नहीं थे।
- (vii) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आपकी कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू/लंबित नहीं है।
- (viii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है।
- (ix) सभी निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत समय-समय पर अपेक्षित कंपनी या कंपनियों या निकायों कॉर्पोरेट, फर्मों, या व्यक्तियों के अन्य संघ में अपनी हित/रूचि की प्रकृति का प्रकटन किया था।
- (x) आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक सार्वजनिक खरीद नीति को धारक कंपनी की वेबसाइट के लिंक https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=611&lang=en पर प्रस्तुत किया गया है।

आभारोक्ति

आपका निदेशक मंडल, वर्ष के दौरान धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक, लागत लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

आपका निदेशक मंडल इस अवसर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों के निरंतर समर्थन और योगदान की सराहना करता है। इस अवसर पर आपका निदेशक मंडल, इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त सहयोग और समर्थन के लिए अपना आभार और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है। निदेशक मंडल आपके विश्वास और निरंतर समर्थन को स्वीकार करता है और भविष्य में भी इसकी कामना करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/-

(अशोक कुमार गोयल)

अध्यक्ष

[डीआईएन: 05308809]

दिनांक: 18.08.2022

स्थान : नई दिल्ली

फॉर्म सं.एमजीटी - 9
वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014
के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	सीआईएन	यू45400डीएल2015जीओआई280017
2.	पंजीकरण तिथि	12 मई, 2015
3.	कंपनी का नाम	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
4क	कंपनी की श्रेणी	सार्वजनिक कंपनी
4ख	कंपनी की उपश्रेणी	केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) शेयरों द्वारा लिमिटेड और शेयर पूंजी धारक कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	प्लॉट सं सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017 दूरभाष : 011-26545267 ई-मेल : cs.irconsgtl@gmail.com
6.	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	नहीं
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	शून्य

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां:

कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।

क्र.सं	मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी-गुना खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-3) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना: निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. अभिरक्षक के पास धारित शेयर जिसके विरुद्ध निक्षेपागार रसीदें जारी की गई हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य	150000000	150000000	100%	शून्य	150000000	150000000	100%	-

नोट:

1. इरकॉनएसजीटीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
2. इरकॉन के पास 10/- रूपए के 14,99,99,200 शेयर और उसकी ओर से 7 नामित शेयरधारकों "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए" के पास 10/- रूपए के 800 शेयर, हैं, अर्थात 1 शेयरधारक के पास 200 शेयर हैं और बाकी 6 शेयरधारकों के पास 100 शेयर हैं।

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या अर्थात 01.04.2021 को			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या अर्थात 31.03.2022 को*			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड*	150000000	100%	शून्य	150000000	100%	शून्य	-
		150000000	100%	शून्य	150000000	100%	शून्य	-

* 31 मार्च 2022 को इरकॉन और उसके नामितों द्वारा शेयरधारिता की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन:

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2021 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		31 मार्च, 2022 को वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में (01.04.2021)	150000000	100%	150000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में (31.03.2022)	150000000	100%	150000000	100%

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न:

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (निगमन) की तिथि]		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में (01.04.2021)	लागू नहीं			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में (31.03.2022)				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	31 मार्च 2021 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		31 मार्च 2022 को वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में	शून्य			
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में				

नोट:

1. दिनांक 31 मार्च 2022 को "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल और श्री सुरजीत दत्ता और श्री पराग वर्मा के पास प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर हैं।"

(vi) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	जमा राशियाँ सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में यथा 01.04.2021 ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	5,26,00,00,000	-	-	5,26,00,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	5,26,00,00,000			5,26,00,00,000
कुल रक्षित ऋण (i+ii+iii)				5,26,00,00,000
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	5,01,00,00,000			5,01,00,00,000

* आवर्धन	5,27,14,02,872			5,27,14,02,872
निवल परिवर्तन (रक्षित ऋण में)				4,99,85,97,128
वित्त वर्ष के अंत में यथा 31.03.2022 ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) रक्षित ऋण की मूल राशि	4,99,85,97,128		-	4,99,85,97,128
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-		-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-		-	-
कुल रक्षित ऋण (i+ii+iii)				4,99,85,97,128

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक*:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वीट क्विटी		
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...		
5.	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (क) *		
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

लागू नहीं

* आईएसजीटीएल के पूर्णकालीन निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है। वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण @	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क कमिशन अन्य, कृपया बताएं कुल (ख1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		

बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क
कमिशन
अन्य, कृपया बताएं
कुल (ख2)
कुल (ख)=(1+2) \$
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क + ख)
अधिनियम के अनुसार सीलिंग - लागू नहीं

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्यूटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक					कुल
		सीईओ		सीएफओ		सीएस	
		श्री मसूद अहमद (02.08.2021 तक)	श्री अतुल कुमार (03.08.2021 से)	श्री संजीव कुमार गुप्ता (30.06.2021 तक)	श्री विनय आहूजा (01.07.2021 से 31.03.2022 तक)	सुश्री इति माटा (वि.व. 2021-22 के दौरान)	
1	सकल वेतन	8,78,680	25,26,945	3,90,238	22,06,598	15,26,070	75,28,531
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-	-

3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	अन्य (चिकित्सा विशिष्ट रोग)	-	2,94,683	52,454	-	-	3,47,137
5.	-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	1,24,897	3,47,718	42,072	3,22,114	1,93,536	10,30,337
6	-सेवानिवृत्ति लाभ	2,75,888	7,12,969	1,67,355	6,12,226	4,23,493	21,91,931
	कुल	12,79,465	38,82,315	6,52,119	31,40,938	21,43,099	1,10,97,936

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ड.) के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए छूट प्राप्त है।

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति:

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति का ब्यौरा	प्राधिकार [आरडी/एनसीएलटी /न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से
ह/-

(अशोक कुमार गोयल)

अध्यक्ष

[डीआईएन: 05308809]

दिनांक: 18.08.2022

स्थान : नई दिल्ली

शेयरधारकों की सूची
(दिनांक 31 मार्च 2022 को)

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या (₹. 10/- प्रत्येक)
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	14,99,99,200
2	श्री योगेश कुमार मिश्रा *	200
3	श्री श्याम लाल गुप्ता*	100
4	श्री अशोक कुमार गोयल *	100
5	श्री सुरजीत दत्ता *	100
6	श्री पराग वर्मा *	100
7	श्री सुभाष चंद *	100
8	श्री बी. मुगुनथन *	100
	कुल	15,00,00,000

* 200 शेयरों एक नामिति शेयरधारक द्वारा धारित हैं और 100 शेयर प्रत्येक छह नामिति शेयरधारकों द्वारा धारित हैं, जो धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के अधिकारी हैं और इरकॉन के लिए और की ओर से शेयरों का धारण किया है।

फार्म सं. एओसी-2

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैथ संव्यवहारों के विवरण का प्रकटन

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

1. आर्म लैथ आधार पर न की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा: शून्य
2. आर्म लैथ आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा निम्नानुसार:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	संविदा/ व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/ व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/ व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि यदि कोई हो	इरकॉन एसजीटीएल द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो (करोड़ रु. में)
इरकॉन इंटरनेशन लिमिटेड (इरकॉन), धारक कंपनी	1. ईपीसी करार (इरकॉन को ईपीई ठेकेदार के रूप में नियुक्त करने हेतु)	दिनांक: ईपीसी समझौता 20.01.2021 को निष्पादित। अवधि: दिनांक 01.01.2021 के अवार्ड पत्र से 12 महीने या साइट को सुपुर्द किया जाना, जो भी बाद में हो।	मध्य प्रदेश राज्य परियोजना के चरण - II के कार्य के पूर्ण कार्यक्षेत्र का 236.000 किमी से 332.100 तक शिवपुरी से गुना तक को चार लेन करना (पैकेज 1)	26.11.2020	आहरणीय अग्रिम के रूप में 13.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
	2. पट्टा करार (इरकॉन एसजीटीएल के पंजीकृत कार्यालय परिसर के रूप में इरकॉन के परिसर को लीज पर लेने के लिए)	दिनांक: 02.06.2021 को निष्पादित पट्टा समझौता अवधि: 01.07.2021 से 31.03.2023 तक	किराया: 65 वर्गमीटर के क्षेत्र के लिए प्रति माह 21,236/- रुपए जमा जीएसटी।	22.06.2021	शून्य

3	मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के लिए सिविल निर्माण और विद्युत कार्य (कार्यों के लिए इरकॉन को एजेंसी के रूप में नियुक्त करने हेतु)	दिनांक: दिनांक 26.07.2021 का अवार्ड पत्र अवधि: एलओए जारी होने से 30 दिन	मध्य प्रदेश राज्य में दो स्थानों अर्थात (i) जिला अस्पताल, गुना [1000 एलपीएम (डीआरडीओ)] और (ii) सिविल अस्पताल, आरोन जिला, गुना [500 एलपीएम (डीआरडीओ)] के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रस्तावित दो ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए सिविल निर्माण और विद्युत कार्य।	08.10.20 21	शून्य
---	--	--	---	----------------	-------

टिप्पणी:

1. उपरोक्त लेनदेन के अलावा, धारक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इरकॉनएसजीटीएल में भी प्रतिनियुक्त किया है, जो वास्तविक लागत (सीटीसी) के आधार पर कार्यरत हैं। ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन लाभ इरकॉन की नीति के अनुसार हैं और इरकॉनएसजीटीएल द्वारा वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जा रही है।
- 2.
3. लेखांकन मानकों के अनुसार "संबंधित पक्ष प्रकटनों का ब्यौरा" वित्तीय विवरणों में लेखा संबंधी नोटों में प्रकट किया गया है।

निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

(अशोक कुमार गोयल)

अध्यक्ष

[डीआईएन: 05308809]

दिनांक: 18.08.2022

स्थान : नई दिल्ली



**वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव**

फार्म सं. एमआर-3

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,

सीआईएन: U45400DL2015GOI280017

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017, भारत

मैं, शोभित वशिष्ठ, प्रोप्राइटर, वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स, ने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड**, (जिसे यहां आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिले ।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, एतद्वारा रिपोर्ट दी जाती है कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए

नियम; (कंपनी पर लागू नहीं है)

- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियम और उपनियम; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीस प्रत्यक्ष निवेश और बाहनी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम; (उक्त अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:
- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (ङ.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (च.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यु और सूचीकरण) विनियम, 2008; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018; (कंपनी पर लागू नहीं है)।
- (vi) मैं आगे उल्लेख करता हूँ कि कंपनी की प्रणाली और प्रक्रियाएं श्रम कानूनों, भारतीय अनुबंध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 आदि जैसे सामान्य कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानूनों के तहत, उद्योग/क्षेत्र विशिष्ट कानूनों सहित अन्य लागू कानूनों के अनुपालन की पर्याप्तता की जांच करने के उद्देश्य से, इन कानूनों के अनुपालन के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी द्वारा गठित प्रणाली और तंत्र हेतु निर्धारित प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया गया है।

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) बोर्ड और आम बैठक के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;
- (ii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय जापन सं. 18(8)/2005-जीएम के तहत जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश;

(हालांकि, यह ज्ञात है कि चूंकि कंपनी को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और ऐसी कंपनियों के रूप में गठित किया गया है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सार्वजनिक उद्यम विभाग(ओपीई) द्वारा अपने दिनांक 11 जुलाई, 2019 और 8 जुलाई, 2014 के कार्यालय जापन द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अन्य अनुपालन से छूट प्राप्त है)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मानकों और दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है,

मैं आगे उल्लेख करता हूं कि:

- कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशकों (महिला निदेशक सहित) सहित कंपनी के निदेशक मंडल का गठन किया गया है, जैसा कि इसकी धारक कंपनी ("इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड") द्वारा नामित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के निर्धारण के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडे पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, केवल निदेशक मंडल की उन बैठकों को छोड़कर, जहां अल्पकालीन सूचना के लिए सहमति प्राप्त की गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मर्दानों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।
- बोर्ड की बैठकों में सभी निर्णय, जो प्रबंधन द्वारा लिए गए थे, सर्वसम्मति से लिए गए थे जैसा कि निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त में रिकार्ड किया गया था।
- मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों और मेरे द्वारा विश्वास किए जाने के अनुसार, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियम और दिशानिर्देश की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप, पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट और प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशेष घटना/कार्य नहीं हुए हैं, जिन्होंने कंपनी के मामलों पर कोई व्यापक प्रभाव प्रस्तुत किया है।

1. कंपनी ने धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) से प्राप्त मौजूदा सावधि ऋण के पुनर्वितीयन हेतु भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से 501 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। दिनांक 28 मार्च, 2022 को एसबीआई द्वारा कंपनी को ऋण के वितरण के बाद, इरकॉन से प्राप्त मौजूदा सावधि ऋण की बकाया राशि कंपनी द्वारा चुका दी गई है और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ऋण के संबंध में कंपनी की शेष सभी बकाया राशि का भुगतान किया गया है।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस शोभित वशिष्ठ

यूडीआईएन: - F011517D000276353

पीआर संख्या: 844/2020

सदस्यता सं.: 11517

सी.पी सं.: 21476

दिनांक: 05 मई, 2022

स्थान : फरीदाबाद

नोट: इस रिपोर्ट को समतिथि पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुबंध-क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सीआईएन: U45400DL2015GOI280017
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017.

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रिया का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस शोभित वशिष्ठ
यूडीआईएन: - F011517D000276353
पीआर संख्या: 844/2020
सदस्यता सं.: 11517
सी.पी सं.: 21476

दिनांक: 05 मई, 2022

स्थान : फरीदाबाद

**लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
और
वित्तीय विवरण**

पी.आर.कुमार एंड कंपनी

सी-2/4 सफदरजंग डेवलपमेंट उरिया,मेन अरोविंदो मार्ग, नई दिल्ली-110016, भारत
दूरभाष-91 (11)47118888 ईमेल prkumar@prkumar.in

संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड ("मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (मूल कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी") के वित्तीय विवरणों सहित दिनांक 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण, अन्य वृहत आय का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के एक सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2022 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुरूप इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इसी तिथि का समाप्त वर्ष के लिए अन्य वृहत आय, इसका रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन सहित इसकी हानियों का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुलग्नक से बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं। ऐसी अन्य सूचना हमें इसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोडिंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोडिंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोडिंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण हैं और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रिय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य मुद्दे

हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 37(ii) पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कोरोनावायरस (कोविड -19) महामारी की स्थिति के प्रकोप के वित्तीय प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के आकलन का वर्णन करता है, और आगामी अवधि में प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार से विकसित होते हैं।

इस संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुगनक-1** के रूप में दे रहे हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं, जैसा कि हमने उचित समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर **अनुबंध-11** में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार था।
3. (क) अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:
 - क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।
 - ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

- ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।
- घ) उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ङ) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं;
- च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "अनुबंध-III" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- (ख) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- क. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो। वित्तीय विवरणों के नोट-32 का संदर्भ लें।
- ख. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं था, जिसके लिए कोई भी सामग्री हानिकारक नहीं थी।
- ग. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।
- घ. (i) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।
- (ii) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य

व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभाथी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

(iii) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

ड. कंपनी ने इस वर्ष लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

(ग) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की उप-धारा (16) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं

कृते पी.आर कुमार एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. : 003186एन

ह/-

(दीपक श्रीवास्तव)

साझेदार

सदस्यता सं. 501615

यूडीआईएन : 22501615AJMCCI3814

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समतिथि रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ-1 में संदर्भित)

- (i) (क) क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ख) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया है, और अचल संपत्ति रजिस्टर के तहत प्रदर्शित होने वाली अचल संपत्तियों से संबंधित कोई विसंगति नहीं देखी गई है।
- (ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), परिणामस्वरूप आदेश के खंड 3 (i) (ग), नहीं लागू है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ.) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- (ii) (क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं हैं और इस प्रकार इस आदेश का खंड 3/3क लागू नहीं है।
(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रूपए से अधिक की

कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए, खंड 3(ii)(ख) का आदेश लागू नहीं है।

- (iii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है और ना ही कंपनियों, फर्मों या कोई अन्य पक्षों को सीमित देयता भागीदारी के लिए रक्षित या अरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, इसके परिणामस्वरूप, आदेश का खंड 3(iii)(क)(ख)(ग)(घ)(ङ.)(च) लागू नहीं होता है।
- (iv) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम की धारा-185 और 186 के तहत निर्धारित कोई ऋण, गारंटी, सुरक्षा या निवेश नहीं किया है, परिणामस्वरूप, आदेश का खंड 3(iv) लागू नहीं होता है।
- (v) कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे जनता द्वारा जमा कराई गई जमा राशि माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं होता है।
- (vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 146(1) के तहत आवश्यकतानुसार लागत रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालांकि, हमें ऐसे खातों और अभिलेखों की न तो कोई विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और न ही कोई विस्तृत जांच की गई है।
- (vii) (क) कंपनी आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और उस पर लागू होने वाले अन्य भौतिक सांविधिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (मूल कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, अधिकांश कर्मचारी स्टैंडबाय प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं, इसलिए, ऐसे कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक बकाया, जैसे कि भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी, व्यावसायिक कर, जो भी लागू हो, मूल कंपनी द्वारा काटा और जमा किया जा रहा है। हालांकि, जो कर्मचारी कंपनी के पेट्रोल पर हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक बकाया, जैसे कि भविष्य निधि, व्यावसायिक कर, जो भी लागू हो, कंपनी द्वारा नियमित आधार पर काटा और जमा किया जा रहा है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है और कोई अन्य सांविधिक बकाया दिनांक 31 मार्च 2022 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थे।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर के संबंध में कोई सांविधिक देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर पूर्व में रिकार्ड न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं की गई है, जिसे कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।
- (ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
ग) हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया था, जिनके लिए वे लिए गए थे।
घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए अल्पकालिक आधार पर प्राप्त की गई किसी भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।
ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने इस अधिनियम में परिभाषित अनुसार अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।
च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रिया के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों (अधिनियम में परिभाषित अनुसार) में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है।
- (X) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक आफर या भावी पब्लिक आफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xi) क) कंपनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों में वर्णित प्रमुखता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए,

- लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्रीय सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- ग) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।
- (xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इस प्रकार, आदेश के पैरा 3 (xii) लागू नहीं होती हैं।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटन किया गया है।
- (xiv) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के अनुसार हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- ख) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
- (xv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- (xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi)(क) और 3(xvi)(ख) लागू नहीं हैं।
- (ख) कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं है।
- (ग) लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह की कोई प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (xvii) कंपनी को चालू और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

- (xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इसलिए, आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।
- (xx) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत, किसी भी परियोजना में कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) लागू नहीं होते हैं।
- (xxi) कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं। इसलिए आदेश के खंड xxi के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते पी.आर. कुमार एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. : 003186एन

ह/-

(दीपक श्रीवास्तव)

साझेदार

सदस्यता सं. 501615

यूडीआईएन : 22501615AJMCCI3814

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17 मई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ (2) का संदर्भ लें)

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	कंपनी के पास टोल प्लाजा पर संचालन के प्रबंधन के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, जिसे "कॉम्बिजन टोल मैनेजमेंट सिस्टम" नाम दिया गया है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स "टैली सॉल्यूशन" के तहत बनाए रखा जा रहा है और दोनों सॉफ्टवेयर एकीकृत नहीं हैं।
2.	क्या ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी के लेनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/कर्ज/ब्याज आदि में छूट/बट्टा खाता की कीई पुनर्संरचना की गई है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव को प्रकट करें। क्या ऐसे मामलों का सही से लेखांकन किया जाता है (यदि देनदार सरकारी कंपनी है तो यह निदेश देनदार कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होगा)।	ऋण/ऋण/ब्याज को माफ करने का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं की गई/प्राप्य नहीं हैं।

कृते पी.आर. कुमार एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. : 003186एन

ह/-

(दीपक श्रीवास्तव)

साझेदार

सदस्यता सं. 501615

यूडीआईएन : 22501615AJMCCI3814

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17 मई 2022

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सम-तिथिक स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 3(एफ) का संदर्भ लें)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड-143 के उपखंड-3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2022 को इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अशिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अशिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय

रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अशिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अशिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं : (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करता हैं; (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं; (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, दिनांक 31 मार्च, 2022 को निम्नलिखित भौतिक खामियों की पहचान की गई है:

- टोलवे प्लाजा के संचालन के लिए कंपनी के पास स्वतंत्र सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है "कॉम्बिजन टॉलवे मैनेजमेंट सिस्टम" और हमने अवलोकन किया है कि कंपनी के पास अधिक मजबूत नियंत्रण होना चाहिए ताकि कंपनी को ओवरवेट प्रभारों के संबंध में राजस्व की हानि न हो;

एक 'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह कमी या कमियों का संयोजन है, जिससे ये संभावना है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों में भौतिक गलती को समय आधार पर पता या रोका नहीं जा सकता है।

हमारी राय में, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया था कि नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी/कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के दिनांक 31 मार्च, 2022 के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताई गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है, और ये भौतिक कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।

कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. : 003186एन

ह/-

(दीपक श्रीवास्तव)

साझेदार

सदस्यता सं. 501615

यूडीआईएन : 22501615AJMCCI3814

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17 मई 2022

पी.आर.कुमार एंड कंपनी

सी-2/4 सफदरजंग डेवलपमेंट उरिया,मेन अरोविंदो मार्ग, नई दिल्ली-110016, भारत
दूरभाष-91 (11)47118888 ईमेल prkumar@prkumar.in

अनुबंध-II

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. : 003186एन

ह/-
(दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सदस्यता सं. 501615
यूडीआईएन : 22501615AJMCCI3814

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 मई 2022

वित्तीय विवरण
(वित्तीय वर्ष 2021-2022)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
I. परिसंपत्तियां			
1 गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	0.46	0.57
(ख) अमूल्य परिसंपत्तियां	4	567.20	608.65
(ग) विकासाधीन अमूल्य परिसंपत्तियां	4	20.69	-
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	0.14	0.14
(ड.) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6	-	-
(च) अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	7	13.37	-
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		601.86	609.36
2 चालू परिसंपत्तियां			
(I) वित्तीय परिसंपत्तियां	8		
(i) व्यापार प्राप्त्य	8.1	0.52	0.46
(ii) रोकड एवं रोकड समतुल्य	8.2	1.59	6.42
(iii) ऋण	8.3	-	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8.4	-	0.01
(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	9	0.10	0.04
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	0.35	-
कुल चालू परिसंपत्तियां		2.56	6.93
कुल परिसंपत्तियां		604.42	616.29
II. इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	150.00	150.00
(ख) अन्य इक्विटी	12	(88.30)	(76.25)
कुल इक्विटी		61.70	73.75
2 देयताएं			
(I) गैर चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	13		
(i) कर्ज	13.1	493.06	490.07
(ii) व्यापार प्राप्त्य		-	-
-सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों को देय			
-सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से इतर को			
कुल बकाया देय			
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	13.2	0.03	-
(ख) प्रावधान	14	23.14	10.47
(ग) आस्थगित कर देयताएं निवल	6	-	-
कुल गैर चालू देयताएं		516.23	500.54
(II) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	15		
(i) कर्ज	15.1	6.80	35.93
(ii) व्यापार प्राप्त्य	15.2		
-सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों को देय		-	-
-सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से इतर को			
कुल बकाया देय		6.41	0.46
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.3	11.86	5.13
(ख) अन्य चालू देयताएं	16	1.42	0.48
(ग) प्रावधान	14	-	-
कुल चालू देयताएं		26.49	42.00
कुल इक्विटी एवं देयताएं		604.42	616.29
III. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 - 2		
IV. वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3-39		

संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं:003186एन

ह/-
(मसूद अहमद)
निदेशक
डीआईएन: 09008553

ह/-
(सीए दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सं.सं: 501615
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022

ह/-
(अतुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड हेतु और की ओर से
ह/-
(मुगुंथन बोजू गोडा)
निदेशक
डीआईएन: 08517013

ह/-
(रचना तोमर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(इति माटा)
कंपनी सचिव

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

(सीआईएन : U45400DL2015GOI280017)

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण



(रूप करोड में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	राजस्व :			
	प्रचालनों से राजस्व	17	143.86	110.78
II.	अन्य आय	18	0.21	0.38
III.	कुल आय (I + II)		144.07	111.16
IV.	व्यय:			
	परियोजना व्यय	19	71.05	40.11
	कर्मचारी लाभ व्यय	20	1.94	1.72
	वित्तीय लागते	21	41.51	41.51
	मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि	22	41.56	41.73
	अन्य व्यय	19	0.06	0.15
	कुल व्यय (IV)		156.12	125.22
V.	आपवादिक मदों तथा कर पूर्व हानि (III - IV)		(12.05)	(14.06)
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	करपूर्व लाभ (V - VI)		(12.05)	(14.06)
VIII.	कर व्यय:			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेतु		-	-
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		-	-
	(2) आस्थगति कर (निवल)	6	-	-
	कुल कर व्यय		-	-
IX.	निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु हानि (VII - VIII)		(12.05)	(14.06)
X.	अन्य वृहत आय		-	-
XI.	अवधि के लिए कुल वृहत आय (IXI +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)		(12.05)	(14.06)
XII.	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल (रूप में निरपेक्ष मूल्य)	30	(0.80)	(0.94)
	(2) विलयित (रूप में निरपेक्ष मूल्य)	30	(0.80)	(0.94)
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00

संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं:003186एन

ह/-

(सीए दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सं.सं: 501615
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022

ह/-

(मसूद अहमद)
निदेशक
डीआईएन: 09008553

ह/-

(अतुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड हेतु और की ओर से

ह/-

(मुगुंथन बोजू गोडा)
निदेशक
डीआईएन: 08517013

ह/-

(रचना तोमर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-

(इति माटा)
कंपनी सचिव

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

(सीआईएन : U45400DL2015GOI280017)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड प्रवाह विवरण



(रूपए करोड में)

विवरण		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह			
कराधान पश्चात निवल लाभ		(12.05)	(14.06)
समायोजन			
प्रावधानों पर रियायत का विघटन		0.44	-
मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि		41.56	41.73
वित्तीय लागत		41.07	41.51
व्याज आय		(0.17)	(0.34)
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ	(1)	70.85	68.84
समायोजन			
व्यापार प्राप्त/वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण में कमी / (वृद्धि)		(0.06)	(0.33)
अन्य परिसंपत्तियों एवं वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(0.34)	0.76
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)		(0.41)	(0.62)
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं व प्रावधानों में (कमी) / (वृद्धि)		19.91	13.07
	(2)	19.10	12.88
प्रचालनों से सृजित रोकड	(1+2)	89.95	81.72
प्रदत्त आयकर (निवल)		(0.06)	0.72
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड	(क)	89.89	82.44
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड			
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद		(0.002)	(0.02)
अमूर्त परिसंपत्तियों / विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(27.69)	-
प्राप्त ब्याज		0.18	0.34
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	(ख)	(27.51)	0.32
वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह			
इरकॉन से ऋण (धारक कंपनी)		-	-
भारतीय स्टेट बैंक से ऋण		502.52	-
इरकॉन को ऋण का पुनर्भुगतान (धारक कंपनी)		(526.00)	(38.15)
भारतीय स्टेट बैंक से ऋण का पुनर्भुगतान		(2.66)	-
ऋण लागत		(41.07)	(41.51)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड	(ग)	(67.21)	(79.66)
विदेशी मुद्रा रोकड और रोकड समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)	-	-
रोकड और रोकड समतुल्य में निवल कमी	(क+ख+ग+घ)	(4.83)	3.10
आरंभिक रोकड एवं रोकड समतुल्य	(ड.)	6.42	3.32
रोकड शेष			
बैंकों में शेष			
अल्पकालीन निवेश			
अंतिम रोकड एवं रोकड समतुल्य	(च)	1.59	6.42
रोकड शेष			
बैंकों में शेष			
अल्पकालीन निवेश			
रोकड एवं रोकड समतुल्य से निवल वृद्धि/(कम)	(च - ड;)	(4.83)	3.10

नोट : 1. उपर्युक्त रोकड प्रवाह विवरण को रोकड प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस)-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2. नकद और नकद समकक्षों का समाधान और नकद और नकद समकक्षों के घटक, नकदी प्रवाह के उपरोक्त स्टैंडअलोन विवरण में शामिल हैं।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपलब्ध रोकड़		
उपलब्ध बैंक/ड्राफ्ट		
पारगमन में परेषण		
बैंकों में शेष:		
- चालू खातों पर	0.06	0.07
- फ्लैक्सिबिलिटी खातों पर	1.53	6.35
- 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली मा राशिया	-	-
तुलनपत्र और स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार कुल रोकड़ और सोकड़ समतुल्य	1.59	6.42

* उपरोक्त 1.59 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.42 करोड़ रुपये) में से, 1.532 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.353 करोड़ रुपये) एस्करो खाते से संबंधित हैं जो एनएचएआई के साथ किए गए रियायत

3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में प्रकटन और समापन शेष के बीच समाधान:

(रूपए करोड में)

विवरण	कर्ज
1 अप्रैल 2020 को	564.15
(क) वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह	(38.15)
(ख) निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान गैर रोकड़ परिवर्तन :	
इंड एस 116 का पारगमन प्रभाव	
संचित ब्याज	
31 मार्च 2021 को	526.00
(क) वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह	(26.14)
(ख) निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान गैर रोकड़ परिवर्तन :	
संचित ब्याज (प्रदत्त ब्याज का निवल)	
31 मार्च 2022 को	499.86

3. प्रकाष्ठ में आंकड़े रोकड़ के बाहरी प्रवाह को दर्शाते हैं।

4. जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनसमूहित/पुनःनिर्धारित किया गया है।

संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं:003186एन

ह/-
(सीए दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सं.सं: 501615
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022

ह/-
(मसूद अहमद)
निदेशक
डीआईएन: 09008553

ह/-
(अतुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इरकॉन शिवपुरी ग्ला टोलवे लिमिटेड हेतु और की ओर से

ह/-
(मुगुंथन बोजू गोडा)
निदेशक
डीआईएन: 08517013

ह/-
(रचना तोमर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(इति माटा)
कंपनी सचिव

इरकाँन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

(सीआईएन : U45400DL2015GOI280017)



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु)

(रूपए करोड में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2020 को शेष	150.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2021 को शेष	150.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2022 को शेष	150.00

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूपए करोड में)

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मर्दे	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय	
1 अप्रैल 2020 को शेष	-	(62.19)	-	-	(62.19)
लेखांकन नीति एवं पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2020 को शेष (पुन निर्धारित)	-	(62.19)	-	-	(62.19)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	-	(14.06)	-	-	(14.06)
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु कुल वृहत आय	-	(14.06)	-	-	(14.06)
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश सवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को शेष	-	(76.25)	-	-	(76.25)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु					(रूपए करोड में)
विवरण	आरक्षित निधि व अतिरिक्त			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2021 को शेष	-	(76.25)	-	-	(76.25)
लेखांकन नीति एवं पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2021 को शेष (पुन निर्धारित)	-	(76.25)	-	-	(76.25)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	-	(12.05)	-	-	(12.05)
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु कुल वृहत आय	-	(12.05)	-	-	(12.05)
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को शेष	-	(88.30)	-	-	(88.30)

संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.आर.कुमार एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं:003186एन

ह/-
(सीए दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सं.सं: 501615
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022

ह/-
(मसूद अहमद)
निदेशक
डीआईएन: 09008553
ह/-
(अतुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड हेतु और की ओर से
ह/-
(मुनुंथन बोजू गोडा)
निदेशक
डीआईएन: 08517013

ह/-
(रचना तोमर)
मुख्य वित्त अधिकारी
ह/-
(इति माटा)
कंपनी सचिव

1. निगमित सूचना

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है। कंपनी का निगमन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन, और हस्तांतरण आधार पर मध्यप्रदेश राज्य में पर राष्ट्रीय राजमार्ग-03 के किमी 236.000 से किमी 332.100 (स्टेज-1) के शिवपुरी - गुना खंड को चार लेन का बनाने" के लिए किया गा है। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनांक 12 मई, 2015 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन एसजीटीएलप ने दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 वर्ष की रियायत अवधि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियुक्ति तिथि यथा 25 जनवरी 2016 को आरंभ हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है। कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़े करोड़ में प्रस्तुत किए गए हैं, और प्रति शेयर डेटा और अन्यथा जहां उल्लेख किया गया है, को छोड़कर इसे दो दशमलव तक पूर्णांकित करके प्रस्तुत किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

- i. कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम-3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एस अनुपालन अनुसूची-III) की अनुसूची-3 के भाग-2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।
- ii. वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है:-
 - प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
 - कतिपय वित्तीय परिसंपतियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

- i. कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।
- ii. किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब:
 - सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो।
 - जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
 - जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो।
 - यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य हेतु है।
- iii. कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति के रूप में किया है।
- iv. कोई देयता चालू तब होती है जब:
 - उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो।
 - जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
 - जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो।
 - जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।
- v. कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू देयता के रूप में किया है।
- vi. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।
- vii. परिचालन क्रम प्रसंकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.3 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

2.4 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्ति की लागत में शामिल है

परिसम्पत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है:

- क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।
- ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।
- ग) परिसम्पत्ति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पत्ति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।
- घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।
- ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मर्दों को अलग-अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

ii. अनुवर्ती मापन

- सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।
- दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।
- मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

iii. मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

- सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	प्रयोग उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर-आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर	3-6
कार्यालय उपकरण	5 -10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3-5
वाहन	8-10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यहास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

- सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यहास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।
- अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/- रूपए है, का पूर्ण मूल्यहास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए हैं।
- मूल्यहास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में किए गए उल्लेख के अनुसार “सामान्यतः किसी परिसम्पत्ति का अवशेष मूल्य परिसम्पत्ति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।”

iv. स्वीकृति समाप्ति

- सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते हैं। किसी परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पत्ति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.5 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेषित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.6 निवेश परिसम्पतियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- निवेश सम्पत्ति की स्वीकृति सम्पत्ति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पत्ति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है।
- निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पत्ति, निर्माणाधीन सम्पत्ति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पत्ति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पत्तियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।
- लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पत्ति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

ii. अनुवर्ती मापन एवं मूल्यहास

- निवेश सम्पत्तियों की प्रस्तुति संचित मूल्य हास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पत्ति के भवन घटक का मूल्य हास क्रय / निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पत्ति का परिशोधन नहीं किया गया है।
- बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।
- निवेश सम्पत्ति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यहास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।
- कम्पनी अपनी निवेश सम्पत्ति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र

मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

iii. स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पत्तियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पत्ति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.7 अमूर्त परिसम्पत्तियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पत्ति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पत्ति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पत्तियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पत्ति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पत्तियां, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पत्तियों का प्रकटीकरण “विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां” के रूप में किया गया है।

ii. अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पत्तियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

- पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।
- अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पत्तियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पत्ति उपलब्ध की तिथि से / निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।
- परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है।

iii. स्वीकृति समाप्ति

- अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

iv. टोल एकत्रण अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत करार)

- क) निर्माण-प्रचालन-अंतरण(बीओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी व्यवस्थाओं (पीपीए) के संबंध में, अमूर्त परिसंपत्तियों अर्थात टोल/टैरिफ को एकत्र करने का अधिकार तब स्वीकृत होत है जब कंपनी को टोल/टैरिफ वसूलने के अधिकार दिए गए हों। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों के उपयोगकर्ता नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए कंपनी पर बिना शर्त के अधिकार नहीं देते हैं और जब यह संभावित होता है कि अधिकारों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।
- ख) कंपनी एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करती है या निर्दिष्ट अवधि के लिए उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) का प्रचालन और अनुरक्षण करती है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को इसके संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल के लिए शामिल किया जा सकता है।
- ग) रियायत समझौतों के तहत, जहां कंपनी को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार मिला है, ऐसे अधिकारों को **इंड एएस 115 - सेवा रियायत व्यवस्था के परिशिष्ट-ग** के अनुसार "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है।
- घ) धनराशि प्राप्त करने का इस प्रकार का अधिकार बिनाशर्ता अधिकार नहीं होता है क्योंकि यह मात्रा उस सीमा तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग किस स्तर तक करती है और इस प्रकार इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को कंपनी द्वारा लागत पर स्वीकार किया जाता है (जो प्रस्तुत निर्माणत सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य उचित मूल्य है) और इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब कंपनी रियायत समझौते में निर्दिष्ट अनुसार प्राधिकरण से परियोजना पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है।
- ड.) रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति को निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है।
- च) सेवा रियायत की व्यवस्था जो अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, संचयी निर्माण लागत पर स्वीकार की जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में स्वीकार किया जाता है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त होती

हैं।

- छ) सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन वह अवधि है जहां से कंपनी रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता से प्रभारित करने में सक्षम है।
- ज) टोल एकत्रण अधिकार को रियायती अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाए गए अधिकार के अतिमरिक्त या उक्त तिथि से प्रो-राटा के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है।
- झ) परिशोधन के तरीकों और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर अनुमानित परिवर्तन किए जाते हैं।
- ट) अमूर्त परिसंपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।

2.8 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं। नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.9 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

(i) प्रावधान

- (क) प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।
- (ख) जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।
- (ग) कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

(ii) दुर्वह संविदाएं

- (क) दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात् वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।
- (ख) इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

iii) आकस्मिक देयताएं

- (क) ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिर्प्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।
- (ख) इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

iv) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.10 राजस्व स्वीकृति

- i. कंपनी इंड एस--115 के अनुसार "ग्राहकों से साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार करती है और मापती है।
- ii. संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को संव्यवहार के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र

- की गई राशि शामिल नहीं है अर्थात जीएसटी और इसे परिवर्ती राशि हेतु समायोजित किया जाता है।
- iii. कंपनी के अनुबंध की प्रकृति कई प्रकार के परिवर्तनशील प्राप्तियों को सृजित करती है, जिसमें वृद्धि और तरलता हानि शामिल हैं।
- iv. लेन-देन की कीमत में कोई भी परिवर्तन अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जो अनुबंध की निर्धारण के समय होता है।
- v. कंपनी परिवर्तनीय विचार के लिए राजस्व को चिह्नित करती है, जब यह संभावना है कि मान्यता प्राप्त राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। कंपनी अनुमानित मूल्य या सबसे अधिक संभावना राशि पद्धति का उपयोग करके परिवर्तनशील राशि के रूप में राजस्व की राशि का अनुमान लगाती है, जो कोई राशि का बेहतर अनुमान निर्धारित कर सकता है।
- vi. इसके परिणामस्वरूप, एक संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में पहचाना जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है।
- vii. निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही कम्पनी द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती है:
- इकाई की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए इकाई के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।
 - इकाई द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पत्ति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पत्ति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
 - इकाई के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पत्ति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।
- viii. समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व स्वीकृति] निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रतिशत समापन विधि का प्रयोग करके प्रगति के मापन द्वारा किया जाता है। निष्पादन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत के लिए आज तक की वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार प्रगति को मापा जाता है।
- ix. निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति लागू करके मापा जाता है। उन संविदाओं में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है वहां आउटपुट पद्धति लागू की जाती है, जो निष्पक्ष रूप से निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति कंपनी के निष्पादन को दर्शाता है।
- x. संविदा आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब संविदा विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य के लिए अनुमोदित किया जाता है।
- xi. संविदाओं में संशोधन के लेखांकन में यह आकलन है चाहे मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं भिन्न हैं और चाहे मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है। जोड़ा गया सेवाएं जो भिन्न नहीं हैं उनका

संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकन किया जाता है जबकि जो भिन्न होते हैं उन्हें या तो एक अलग संविदा के रूप में देखा जाता है यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के रूप में लगाई जाती है।

xii. संविदा शेष

- **संविदा परिसम्पतियां:** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- **व्यापार प्राप्य:** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)। खंड वित्तीय माध्यम - आरंभिक स्वीकृति और आगामी मापन में वित्तीय परिसंपत्तियों की लेखांकन नीति का संदर्भ लें।
- **संविदागत दायित्व:** संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताओं की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

xiii. टोल एकत्रण से राजस्व

कंपनी टोल एकत्रक को तब स्वीकार करती है जबकभी इसे संव्यवहार मूल्य पर एकत्र किया जाता है यथा प्रयोग शुल्क, जो कि तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र राशि से अलग है।

xiv. अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.11 गैर-वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

- i. प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के

संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पत्ति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को हासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

- ii. उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व-कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।
- iii. साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यहास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.12 मालसूचियां

- i) मालसूचिया (स्क्रेप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।
- ii) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।
- iii) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण

के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

- iv) लागत जमा संविदा आधार पर-, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्ण एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।
- v) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्ण का उपयोग कर लिया गया है।

2.13 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पत्ति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.14 कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर-डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

- ii) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी इरकाँन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि ये कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं।

2.15 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पत्ति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

1) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पत्तियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा

दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पत्तियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

क) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियां

- कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्ति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यहास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों का मूल्यहास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।
- यदि पट्टा की गई परिसम्पत्तियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती हैं अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यहास का आकलन परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।
- उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियां अक्षमता की शर्त पर भी होती हैं।
- रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर आधारित।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है, जिनकी उस वर्ष में लागू होने की संभावना होती है जिस वर्ष परिसंपत्ति से धन प्राप्ति होती है या देयता का निपटान कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है, सिवाय इसके कि यह लाभ या हानि के बाहर स्वीकृत वस्तुओं से संबंधित है, इस मामले में लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर मदों को अंतर्निहित के संबंध में मान्यता दी जाती है।

ख) पट्टा दायित्व

- कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली

संभावित राशियां शामिल हैं। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पत्ति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

- पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात् पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पत्ति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।
- कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

ग) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के पट्टे

- कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात् वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पत्ति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पत्तियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।
- कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एस-116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ii) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पत्ति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की

अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पत्ति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पत्ति होने पर की गई है।

2.16 चालू आय कर

- चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन संबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।
- चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में निकाय के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है और उसकी मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पत्ति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

2.17 आस्थगित कर

- आस्थगित कर के लिए प्रावधान आईओसी या इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से देयता विधि संव्यवहार का प्रयोग करके किया जाता है।
- आस्थगित आय कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।
- आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ

के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

2.18 प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालन रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

2.19 प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ ओर इस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.20 विदेशी मुद्राएं

(i) कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

- वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (“कार्यात्मक मुद्रा”) करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूप में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

(ii) संव्यवहार एवं शेष

- विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।
- रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर-मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।
- मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पत्ति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

2.21 उचित मूल्य मापन

- (i) कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।
- (ii) उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पत्ति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पत्ति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो:
- क) उत्तम बाजार में परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- ख) उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।
- (iii) किसी परिसम्पत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।
- (iv) किसी गैर-वित्तीय परिसम्पत्ति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पत्ति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पत्ति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पत्ति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।
- (v) कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर-प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।
- (vi) सभी परिसम्पत्तियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:-
- स्तर 1 - समान प्रकार की परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य
 - स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
 - स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर-प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- (vii) ऐसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के

निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

- (viii) महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।
- (ix) उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।
- (x) ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.22 शेयरधारकों को लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी गई है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संबंधित कर, यदि कोई हो, को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

2.23 वित्तीय उपकरण

- वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

i) वित्तीय परिसम्पतियां

(क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- सभी वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

(ख) अनुवर्ती मापन

- अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

क. परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

- निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:
 - क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और
 - ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।
 - ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यतः व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।
 - ख. अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)
 - निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है:
 - क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
 - ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।
 - एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।
 - ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण
 - (क) एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 - (ख) एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

ध. इक्विटी उपकरण

- इंड एस-109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण-वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।
- यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते हैं तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।
- एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

ड. वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।
- इंड एस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:
 - क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।
 - ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।
 - ग. इंड एस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य
 - घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एस 115 के दायरे में हैं।
 - ड. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।
 - च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।
- कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए "सरल एप्रोच" का अनुसरण किया गया है:
 - क. व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
 - ख. सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एस 116 के दायरे में हैं।

- सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।
- वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइम ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।
- लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।
- ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:-
- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्य: ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा: ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार: ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर "संचित परिशोधन राशि" के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।
- कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पत्ति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पत्ति नहीं की गई है।

च. वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति समाप्ति

- (क) किसी वित्तीय परिसम्पत्ति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पत्तियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पत्तियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।
- (ख) वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त / प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएं

(क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।
- कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

(ख) अनुवर्ती मापन

- वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

(क) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

(ग) परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

क. ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

- प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

ख. वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

iv) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

v) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने

की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.24 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां

- (क) जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर-चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यहास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।
- (ख) यदि इंड एस 105 “बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां” के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियों का मापन
- (i) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यहास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा
- (ii) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है।
- मूल्यहास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर-चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.25 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक / अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.26 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

- उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं।
- ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।
- रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(i) संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

- व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ii) आकस्मिताएं

- कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पत्ति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(iii) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(iv) कर

- जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।
- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(v) गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पत्ति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(vi) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां

- जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर-चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

(vii) पट्टे - आवर्धित ऋण दर के अनुमान

- कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारण तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

(viii) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण - पट्टेदार के रूप में कम्पनी

- कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।
- कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात् महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(ix) राजस्व स्वीकृति

- कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है, जिसे नोट 2.10 में निर्धारित किया गया है, जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।
- इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।
- अनुमानों की आवश्यकता समापन के स्तर का निर्धारण करने और परियोजना समापन तिथि का अनुमान लगाने के लिए भी होती है।
 - कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
 - परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
 - संभावित हानियों के लिए प्रावधान
 - दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान
- इनकी समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों पर नोट



3 परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण

(रूपए करोड में)

	संयंत्र और मशीनरी	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कुल
सकल वहन राशि (लागत पर)						
31 मार्च 2020 को	-	0.04	0.03	0.03	-	0.10
संवर्धन	-	-	0.01	-	-	0.01
निपटान/समायोजन	0.06	0.06	-	-	0.71	0.83
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	0.06	0.10	0.04	0.03	0.71	0.94
1 अप्रैल 2021 को	0.06	0.10	0.04	0.03	0.71	0.94
संवर्धन	-	-	0.001	-	-	0.001
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को	0.12	0.10	0.04	0.03	0.71	0.94
मूल्यहास और हानि						
31 मार्च 2020 को	-	0.03	0.01	-	-	0.04
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यहास	0.01	0.06	0.002	0.003	0.17	0.25
हानि	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	0.01	0.01	-	-	0.07	0.09
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	0.02	0.10	0.012	0.003	0.24	0.38
1 अप्रैल 2021 को	0.02	0.10	0.012	0.003	0.24	0.38
संवर्धन	0.007	0.01	0.009	0.003	0.08	0.10
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को	0.05	0.11	0.021	0.006	0.32	0.48
निवल बही मूल्य						
31 मार्च 2022 को	0.07	(0.01)	0.02	0.02	0.39	0.46
31 मार्च 2021 को	0.04	-	0.03	0.03	0.47	0.57

नोट :- क) ऊपर वर्णित संपत्ति में से 0.83 करोड़ रुपये (सकल ब्लॉक) के कंप्यूटर, वाहन और संयंत्र और मशीनरी होल्डिंग कंपनी के नाम पर हैं

फुट नोट :-

i) वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास और हानि लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किए गए हैं: -

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास	0.11	0.25
क्षतिपूर्ति हानि	-	-
कुल	0.11	0.25

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों पर नोट



4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

(रूपए करोड में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अमूर्त परिसंपत्तियां (टोल एकत्रण) (नोट 24 का संदर्भ लें)	अन्य अमूर्त (साफ्टवेयर)
सकल ब्लॉक			
1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष	-	726.78	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	0.83	-
31 मार्च 2021 को समापन शेष	-	725.95	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	20.69	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 को समापन शेष	20.69	725.95	-
परिशोधन एवं हानि			
31 मार्च 2020 को समापन शेष	-	75.90	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	41.48	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	0.08	-
31 मार्च 2021 को समापन शेष	-	117.30	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	41.45	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 को समापन शेष	-	158.75	-
निवल बही मूल्य			
31 मार्च 2022 को	20.69	567.20	-
31 मार्च 2021 को	-	608.65	-

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2022 को					
प्रगतिरत परियोजनाएं	20.69	-	-	-	20.69
अस्थायी रूप से बंद परियोजनाएं	-	-	-	-	-
	20.69	-	-	-	20.69
31 मार्च 2021 को					
प्रगतिरत परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से बंद परियोजनाएं	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों पर नोट



5 गैर चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) वसूली योग्य : अरक्षित		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	0.14	0.14
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.14	0.14
ख) संदिग्ध समझे गए		
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.14	0.14

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट



6 आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आयकर

इंड एस 12 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	लाभ और हानि खंड चालू आयकर: चालू आयकर प्रभार समायोजन: पूर्ववर्ती वर्ष के चालू आयकर के संबंध में आस्थगित कर: अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित	-	-
	लाभ व हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	-	-
2	अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड वर्ष के दौरान ओसीआई के स्वीकृत आयकर संबंधी मदें निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनःमापन पर निवल घाटा/(लाभ) विदेशी प्रचालन अंतरण पर पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	ओसीआई खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 के लिए भारत के घरेलू कर दर द्वारा गुणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	(12.06)	(14.07)
2	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निगमित कर दर	25.168%	25.168%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	-	-
4	कर समायोजन प्रभाव:		
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	-	-
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	-	-
5	लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	-	-
6	प्रभावी कर दर		

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (देयताएं) और परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	तुलन पत्र		वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण	
		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यहास एवं आयकर मूल्यहास	(84.80)	(75.73)	9.07	14.81
2	प्रावधान	8.04	2.64	(5.40)	(2.64)
3	अन्य ^{^^}	76.76	73.09	(3.67)	(12.17)
4	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
8	चालू वर्ष और पहले के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन चालू वर्ष में कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	0.00	(0.00)	-	0.00

^{^^} व्यावसायिक हानि के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति को गैर परम्परागत रूप में पीपीई और अमूर्त संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देयता तक सीमित कर दिया गया है। लेखा नीति 2.17 के अनुरूप 21 करोड़ रुपये की आस्थगित कर संपत्ति को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार:

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	84.80	75.73
2	आस्थगित कर देयताएं	(84.80)	(75.73)
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं) (निवल)	-	-

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपत्तियों का समायोजन :

(रूपए करोड में)

31 मार्च 2022 को

क्र.सं.	विवरण	1अप्रैल 2021 को निवल शेष	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2022 को निवल शेष
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यहास एवं आयकर मूल्यहास	(75.73)	9.07	-	(84.80)
2	प्रावधान	2.64	(5.40)	-	8.04
3	अन्य	73.09	(3.67)	-	76.76
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
8	चालू वर्ष और पहले के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन चालू वर्ष में कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	-	-	-	0.00

31 मार्च 2021 को

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	1अप्रैल 2020 को निवल शेष	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2021 को निवल शेष
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यहास एवं आयकर मूल्यहास	(60.92)	14.81	-	(75.73)
2	प्रावधान	-	(2.64)	-	2.64
3	अन्य	60.92	(12.17)	-	73.09
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
8	चालू वर्ष और पहले के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन चालू वर्ष में कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य हैं	-	0.00	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	-	-	-	-

7 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) पूंजी अग्रिम		
अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु पूंजी अग्रिम (टोल रोड का स्टेज-II)	13.37	-
कुल - पूंजी अग्रिम	13.37	-
<u>वसुलीयोग्य -अरक्षित</u>	13.37	-
कुल	13.37	-

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट



8.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपलब्ध रोकड़	-	-
बैंकों में शेष*		
- चालू खाता	0.06	0.07
- फ्लैक्सी खाता	1.53	6.35
- 3 महीने से कमी की मूल परिपक्वता के साथ जमा राशि	-	-
	1.59	6.42

* उपरोक्त 1.59 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.42 करोड़ रुपये) में से, 1.532 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.353 करोड़ रुपये) एस्करो खाते से संबंधित हैं जो एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि हैं।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट



8.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
क. अरक्षित वसूली योग्य		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
सकल योग	-	-

8.4 चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
क. अरक्षित वसूली योग्य		
संचित ब्याज:		
- बैंकों में जमा/ फ्लैक्सी जमा खाता	-	0.01
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - साध्य	-	0.01
सकल योग - अन्य वित्तीय अन्य	-	0.01

कंपनी, फर्मों के अधिकारियों को देय ऋण, जिसमें कोई भी निदेशक एक भागीदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई भी निदेशक सदस्य है जेवी और सहायक कंपनियों को छोड़कर शून्य रूपए (शून्य रूपए)।

निदेशकों से देय राशि का विवरण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्टाफ के ऋण व अग्रि से संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल		

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

9 चालू परिसंपत्तियां - चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर के लिए प्रावधान का निवल)	0.10	0.04
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	0.10	0.04

इरकाँन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट



10 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वसूली योग्य - अरक्षित		
क) पूंजी अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के एवज में ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
ठेकेदारों को अग्रिम- संबंधित पार्टी- होल्डिंग कंपनी से वसूली योग्य अग्रिम:		
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)	-	-
घटा : विरोध के तहत जमा किया गया	-	-
- मूल्य संवर्धन कर	-	-
- माल और सेवा कर	0.21	-
- सर्विस टैक्स इनपुट क्रेडिट	-	-
प्रतिभूति जमा राशि		
संचित ब्याज		
जमा राशि एवं अग्रिम :		
- ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और अन्य निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति	-	-
पूर्व प्रदत्त व्यय	0.14	-
उचित मूल्य समायोजन	-	-
पट्टा समानीकरण	-	-
कुल - अन्य	0.35	-
ग) संदिग्ध समझे गए		
घटा : संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि प्रावधान	-	-
कुल - संदिग्ध समझे गए	-	-
सकल योग	0.35	-

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट



11 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
15,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए	150.00	150.00
	150.00	150.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
15,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए -पूर्णत प्रदत्त	150.00	150.00
	150.00	150.00

कंपनी में शेयरधारित का ब्यौरा

विवरण	अवधि /वर्ष के अंत में प्रमोटर के पास धारित शेयर				अवधि वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	क्र.सं	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च 2022 को	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकॉन)	1500,00,000	100.00%	लागू नहीं
	2				

विवरण	अवधि /वर्ष के अंत में प्रमोटर के पास धारित शेयर				अवधि वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	क्र.सं	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च 2021 को	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकॉन)	1500,00,000	100.00%	लागू नहीं
	2				

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयर धारिता का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021		31 मार्च 2020	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकॉन)	1500,00,000	100.00%	1500,00,000	100.00%	1500,00,000	100.00%

कंपनी में शेयरधारित का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकॉन)	1500,00,000	100.00	1500,00,000	100.00
कुल	1500,00,000	100.00	1500,00,000	100.00

वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रूपए में	शेयरों की संख्या	करोड़ रूपए में
अवधि के आरंभ में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	1500,00,000	150.00	1500,00,000	150.00
जमा: अवधि के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान बायबैक शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	1500,00,000	150.00	1500,00,000	150.00

12 अन्य इक्विटी	(रूपए करोड में)	
विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021

अन्य आरक्षित निधियां

प्रतिधारण आमदनी	(88.30)	(76.25)
कुल	(88.30)	(76.25)

निम्नानुसार संचलन

प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	(76.25)	(62.19)
जमा: सरप्लस से लाभ व हानि विवरण में अंतरण	(12.05)	(14.06)
समापन शेष	(88.30)	(76.25)

अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन:

प्रतिधारण आमदनी
प्रतिधारित आय कंपनी के अविभाजित लाभ को दर्शाती है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट



13 गैर चालू देयताएं- वित्तीय देयताएं

13.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं- ऋण

विवरण	(रूपए करोड में)	(रूपए करोड में)
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
रक्षित:		
(क) धारक कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण (नीचे दिए गए नोट का संदर्भ लें)	-	490.07
(ख) एसबीआई से ऋण (नीचे दिए गए नोट और नोट 15.1 का संदर्भ लें)	493.06	-
कुल	493.06	490.07

नोट:

(a) निबंधन और शर्तें

i) समझौते की शर्तों के अनुसार कुल परियोजना लागत को पूरा करने के लिए इसकी होल्डिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से 722.11 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई है। दिनांक 1 अप्रैल 2021 को बकाया ऋण राशि 526 करोड़ रुपये थी। यह संपूर्ण ऋण राशि चालू वित्तीय वर्ष में टोल संचालन के माध्यम से उत्पन्न आंतरिक संचय द्वारा और मार्च 2022 से भारतीय स्टेट बैंक से एक नया ऋण प्राप्त करके 17 फरवरी 2022 के ऋण समझौते द्वारा चुकाया गया था। 501 रुपये के लिए नए ऋण का भुगतान किया गया था। वर्ष के दौरान रु. 2.66 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया तथा 31 मार्च, 2022 तक रु. 499.86 करोड़ की राशि बकाया थी। इस राशि में से रु. 499.86 करोड़, रु. 6.80 करोड़ को उधार के अंतर्गत ऋण की वर्तमान परिपक्वता के रूप में दर्शाया गया है - वर्तमान (नोट 15.1 देखें)

"ii) ब्याज शर्तें

लागू ब्याज दर 28.03.2022 से एसबीआई की 3 महीने की एमसीएलआर प्लस 0.25% की आधार दर है।"

"iii) चुकौती की शर्तें

सावधि ऋण की चुकौती 11.5 वर्षों में 30.09.2033 तक, ऋण समझौते में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार तिमाही किश्तों में की जाएगी।"

"ऋण समझौते के खंड-12 के अनुसार, विस्तारित ऋण के लिए प्रतिभूतियों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है:

(क) परियोजना से संबंधित सभी उधारकर्ता की मूर्त चल संपत्ति पर पहला प्रभार;

(ख) एस्क्रो खातों और उप-खातों (या उसके प्रतिस्थापन में कोई खाता) या इस समझौते के अनुसार खोले जा सकने वाले किसी अन्य बैंक खाते सहित परियोजना से संबंधित उधारकर्ता के सभी खातों पर पहला शुल्क;

(ग) परियोजना से संबंधित सभी अमूर्त संपत्तियों पर पहला शुल्क, जिसमें सद्भावना, अधिकार, उपक्रम और वर्तमान और भविष्य की अवांछित पूंजी शामिल है, लेकिन इस तक ही सीमित नहीं है;

(घ) वर्तमान और भविष्य दोनों में निम्नलिखित में सुरक्षा के रूप में असाइनमेंट/प्रभार:

(i) परियोजना दस्तावेजों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें;

(ii) सभी मंजूरीयों में और उनके अधीन उधारकर्ता का अधिकार, हक और हित;

(iii) किसी भी ऋण पत्र में सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें, ठेकेदार गारंटी सहित गारंटी और परियोजना दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता को किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए निष्पादन बांड;

(iv) परियोजना से संबंधित सभी बीमा अनुबंधों के तहत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें;

13.2 अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	(रूपए करोड में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
जमा राशियां और प्रतिधारण राशियां	0.03	-
कुल	0.03	-

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट



14 प्रावधान		(रुपए करोड में)	
विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		-	-
संदिग्ध परिसंपत्ति के लिए प्रावधान	14.1	0.11	-
टोल रोड के अनुसूचित प्रमुख अनुरक्षण हेतु प्रावधान	14.2	23.14	10.47
		23.25	10.47
घटा : संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान (वर्तमान में अलग से)	8.1	0.11	-
कुल चालू		23.14	10.47
गैर चालू		-	-
गैर चालू		23.14	10.47

इंड एस 37 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधान संचलनां का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

14.1 संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान :		(रुपए करोड में)	
विवरण	संदिग्ध ऋण	कुल	
31 मार्च 2021			-
चालू			-
गैर चालू			-
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.11	0.11	
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग			-
घटा : वर्ष के दौरान बट्टा खाता (विनियम लाभ)/हानि			-
31 मार्च 2022	0.11	0.11	
चालू	0.11	0.11	
गैर चालू			-

14.2 अन्य प्रावधान :		(रुपए करोड में)				
विवरण	डीमोबिलाइजेशन	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	अनुरक्षण	अन्य व्यय	कुल	
01 अप्रैल 2020 को	-	-	-	-	-	-
गैर-चालू	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	-	-	10.47	-	-	10.47
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	-	-	-	-
घटा : वर्ष के दौरान बट्टा खाता	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल 2021 को	-	-	10.47	-	-	10.47
गैर-चालू	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रमुख अनुरक्षण कार्यों हेतु प्रावधान ^{^^}	-	-	12.23	-	-	12.23
घटा : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	-	-	-	-
घटा : वर्ष के दौरान बट्टा खाता	-	-	-	-	-	-
रियायत का प्रकटन	-	-	0.44	-	-	0.44
01 अप्रैल 2022 को	-	-	23.14	-	-	23.14
गैर-चालू	-	-	23.14	-	-	23.14

^{^^} टोल रोड के संचालन के लिए रखरखाव नियमावली के अनुरूप प्रमुख रखरखाव का प्रावधान प्रदान किया गया है।

इरकाँन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड



15 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

15. चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

1	विवरण	(रूपए करोड़ में)	(रूपए करोड़ में)
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021

दीर्घकालीन ऋणों की वर्तमान परिपक्वता (संदर्भ नोट सं. 13.1)	6.80	35.93
कुल	6.80	35.93

चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार प्राप्य (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के अलावा		
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	0.01	0.29
(ख) संबंधित पक्ष	6.40	0.17
कुल	6.41	0.46

नोट:

क) कंपनी अधिनियम, 2013/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षाओं का प्रकटन नोट 36 में किया गया है।

ख) संबंधित पक्षों की शर्तें व निबंधन और अन्य शेषों का प्रकटन नोट 24 में किया गया है।

व्यापार देय अवधि अनुसूची

विवरण	बिना बिल युक्त	अदेय	भुगतान के लिए देय तिथि से दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि							-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि			6.41				6.41
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि							-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि							-

विवरण	बिना बिल युक्त	अदेय	भुगतान के लिए देय तिथि से दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि							-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि			0.46				0.46
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि							-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि							-

15.3 चालू देयताएं - अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि और आहरित राशि	1.53	0.65
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि और आहरित राशि - संबंधित पक्ष - धारक कंपनी	0.04	-
ग्राहकों को देय राशि	1.76	1.74
अन्य देय राशियां (कर्मचारियों को देय सहित)	8.53	2.74
कुल	11.86	5.13

16 अन्य चालू देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सांविधिक देय	1.42	0.48
कुल	1.42	0.48

नोट:

क) सांविधिक देय राशि में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक बकाया के लिए देयता शामिल

17 प्रचालनों से राजस्व

(रूपए करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
निर्माण संविदा राजस्व	20.69	-
टोल प्रचालनों से राजस्व (संदर्भ नोट सं. 25 और 34)	120.75	110.43
निर्माण सेवाओं से राजस्व (कार्यक्षेत्र एवं अन्य कार्यों में परिवर्तन)	2.07	-
अन्य राजस्व		
- वित्तीय लिखतों का परिशोधन	-	-
- अन्य प्रचालनिक राजस्व	0.35	0.35
कुल	143.86	110.78

18 अन्य आय

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
आयकर की प्रतिपूर्ति पर ब्याज	-	0.06
अन्य अग्रिम/ प्रतिभित जमा पर ब्याज	-	-
बैंक ब्याज सकल	0.17	0.28
	-	-
	0.17	0.28
अन्य		
विविध आय	0.04	0.04
कुल	0.21	0.38

19 परियोजना और अन्य व्यय

विवरण	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय (चरण II का निर्माण)	20.69	-	-	-
कार्य व्यय (कार्यक्षेत्र में परिवर्तन)	1.79	-	-	-
कार्य व्यय (अन्य कार्य - होल्डिंग कंपनी)	0.28	-	-	-
एनएचएआई को रियायत शुल्क	22.86	20.72	-	-
टोल संचालन और रखरखाव खर्च	10.52	7.20	-	-
निरीक्षण, भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि।	0.66	0.33	-	-
किराया - गैर आवासीय	0.03	0.03	-	-
दरें और कर	-	-	-	-
वाहन संचालन और रखरखाव	-	-	-	-
मरम्मत और रखरखाव				
- कार्यालय एवं अन्य	0.05	0.03	-	-
ऊर्जा, बिजली और पानी के शुल्क	0.70	0.71	-	-
बीमा	0.92	0.34	-	-
यात्रा और परिवहन	0.02	-	-	-
छुपाई और स्टेशनरी	0.01	-	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	0.17	0.10	0.008	0.01
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे नोट देखें)	-	-	0.028	0.02
विज्ञापन और प्रचार	-	-	0.02	0.05
बैंक शुल्क और अन्य वित्तीय शुल्क	-	-	0.002	0.07
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (नोट 38 देखें)	-	-	-	-
विविध व्यय	0.01	0.18	-	-
प्रावधान (जमा -बट्टा खाता) (नोट 14 देखें) - प्रमुख मरम्मत और रखरखाव और संदिग्ध ऋण के लिए (नोट 8.1)	12.34	10.47	-	-
कुल	71.05	40.11	0.06	0.15

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भगतान

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.018	0.020
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.005	0.005
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.01	-
(घ) प्रमाणन शुल्क	-	-
(घ) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
यात्रा व्यय	-	-
आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
कुल	0.03	0.03

20 कर्मचारी परिश्रमिक और लाभ (संदर्भ नोट 28)

(रूपे करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालन	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालन	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, परिश्रमिक और बोनस		1.48	0.14	1.62	1.32	0.12	1.44
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		0.20	-	0.20	0.18	-	0.18
सेवानिवृत्ति लाभ		0.12	-	0.12	0.10	-	0.10
कुल		1.80	0.14	1.94	1.60	0.12	1.72

21 वित्तीय लागत

(रूपे करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय		-	38.09
अन्य उधार लागत			
- बैंक गारंटी और अन्य शुल्क		2.98	-
प्रावधानों पर छूट की समाप्ति		0.44	-
कुल		41.51	41.51

22 मूल्यहास, परिशोधन और हानि

(रूपे करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.11	0.25
अमूर्त परिसंपत्तियां	41.45	41.48
कुल	41.56	41.73

इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट: - 23

क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर-1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

क) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

(रूपए करोड में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.14	-	-	-
कुल	0.14	-	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	499.86			
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	11.89			
कुल	511.75			

ख) दिनांक 31 मार्च 2021 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल) म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
- निवेश	-	-	-	-
- ऋण	0.00	-	-	-
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.15	-	-	-
कुल	0.15	-	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
- ऋण		-	-	-
- अन्य वित्तीय देयताएं	526.00	-	-	-
	5.13			
कुल	531.13			

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्त, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी अग्रणीत राशि का अनुमान लगाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होता है या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां और मान्यताएं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रयुक्त विधि के समान हैं। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्युचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू (उचि एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलनपत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्युचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा प्रकट

किया गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) इन वित्तीय वित्तीय में निर्धारित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों के उचित सामन्जस्य के पश्चात निर्धारित है है, कंपनी को यह अनुमान नहीं है कि वहन की जाने वाली राशि उन मूल्यों से काफी भिन्न होगी जो अंततः प्राप्त होगी।

iii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देनदारियों की मात्रा उनके मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य को निर्धारित करती है।

* वित्त वर्ष 2021-22 और 2020-21 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्त, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन नहीं करती है और विदेशी विनिमय जोखिम शून्य या नगण्य है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है। कंपनी में फ्लोटिंग ब्याज दर व्यवस्था है, 50 बेसिक बिंदुओं की दर से ब्याज संवेदी निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
	करपूर्व	करपश्चात	करपूर्व	करपश्चात
रूपए करोड़ में				
ब्याज दर - 50 बेसिक प्वाइंट से वृद्धि (50 बीपीएस)	0.00	0.00	2.63	1.97
ब्याज दर - 50 बेसिक प्वाइंट से कमी (50 बीपीएस)	0.00	0.00	(2.63)	(1.97)

ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है। वर्तमान में कंपनी ने केवल एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ समझौता किया है, इसलिए कंपनी का ऋण जोखिम न्यूनतम है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

निम्न तालिका निर्माण राजस्व, एससीए और टोल प्राप्तियों के तहत निर्माण के शीर्ष तीन राजस्व खंडों से उत्पन्न राजस्व के संबंध में विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
	31/03/2022	31/03/2021
शीर्ष तीन राजस्व क्षेत्रों से राजस्व	143.86	110.79
	143.86	110.79

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए करोड में)

विवरण	31/03/2022	31/03/2021
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.14	0.14
चालू निवेश	-	-
रोकड एवं रोकड समतुल्य	1.59	6.42
अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	-	00.0
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.004	0.01
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्य	0.64	0.46
संविदागत परिसंपत्तियां	-	-

सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	31/03/2022	31/03/2021
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	0.11	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
समापन प्रावधान	0.11	-

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रुपये (31 मार्च, 2021: शून्य रुपये) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भते को मान्यता दी है।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31/03/2022	31/03/2022
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

समीक्षा अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया या था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रूपए की हानि के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है।

ख) तरलता जोखिम

कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखते हुए और पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच के द्वारा तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। कोष विभाग नियमित रूप से अनुमानों की तुलना में नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन और तुलना पत्र चल निधि अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और रणनीति पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इसकी निवेश रणनीति की देखरेख करता है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कंपनी आमतौर पर भारत सरकार के डेट बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। मूल हानि के संभावित जोखिम को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीति में निवेश को आम तौर पर निवेश ग्रेड होने की आवश्यकता होती है

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	6.80	4.28	488.78
व्यापार प्राप्य	6.42	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	11.86	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	35.93	60.36	429.71
व्यापार प्राप्य	0.45	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	5.14	-	-

ख) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक संभावना से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस प्रकार करना है कि एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता को सुनिश्चित और सुरक्षित किया जा सके ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके। इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक स्थितियों और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

कंपनी ने अपनी परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए अपनी होल्डिंग कंपनी से वित्त वर्ष 2021-22 तक 579.59 करोड़ रुपये (स्वीकृति रुपये 722.11 करोड़ रुपये) का सावधि ऋण लिया है (31.3.2022 को बकाया के रूप में शून्य रूप है)। ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है और मार्च 2022 में भारतीय स्टेट बैंक से 502.51 करोड़ रुपये का नया ऋण लिया गया है।

कर्ज इक्विटी अनुपात

(रुपए करोड में)

विवरण	31-मार्च-22	31-मार्च-21
ऋण (नोट सं 13.1 व 15.1)	499.86	526.00
दीर्घकालीन ऋण	499.86	526.00
इक्विटी (नोट सं.11)	150.00	150.00
अन्य इक्विटी (नोट सं.12)	(88.30)	(76.25)
कुल इक्विटी	61.70	73.75
ऋण इक्विटी अनुपात	8.10	7.13

24 वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा

(भारतीय रूप में)

संबंधित पक्ष का नाम	विवरण	संव्यवहार (रूप में)		बकाया राशि	
		31-03-2022 तक की अवधि के दौरान	31-03-2021 तक की अवधि के दौरान	31-03-2022 को	31-03-2022 को
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000
	ऋण	(5,260,000,000)	381,540,000.00	-	5,260,000,000
	ऋण पर देय ब्याज			-	
	वसूली योग्य प्रदत्त ऋण	133,666,183		133,666,183	-
	रोकी गई धनराशि			434,334	-
	अन्य देनदारियां		-	64,017,813	1,735,193
	ऋण पर देय ब्याज	-	-	-	-
	सेवाओं का प्रतिपादन				
	कार्य अनुबंध * व्यय के रूप में जीएसटी को छोड़कर	2,847,770	-		
	कार्य अनुबंध (सीओएस) व्यय के रूप में जीएसटी को छोड़कर	17,889,426			
	कार्य अनुबंध * पूंजीकृत जीएसटी को छोड़कर	178,101,818	-		
	खर्च के रूप में जीएसटी को छोड़कर किराया	249,038	231,672		
व्यय के रूप में ऋण पर ब्याज	377,136,988	415,069,035			

नोट: 24 संबंधित पक्ष संव्यवहार

इंड एस-24 "संबंधित पक्ष संव्यवहार" के अनुपालन में प्रकटन इस प्रकार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) धारक कंपनी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

नाम	पद
श्री योगेश कुमार मिश्रा	अध्यक्ष दिनांक 13.05.2021 से 01.10.2021 तक
श्री श्याम लाल गुप्ता	अध्यक्ष 13.05.2021 तक
श्री ए के गोयल	अध्यक्ष दिनांक 01.10.2021 से
श्री डी के शर्मा	निदेशक 02.08.2021 तक
श्री ए के गोयल	निदेशक 01.10.2021 तक
श्री पराग वर्मा	निदेशक दिनांक 29.12.2021 से
सुश्री रितु अरोड़ा	निदेशक दिनांक 13.05.2021 से
श्री मसूद अहमद नज़र	निदेशक 02.08.2021 से
श्री मुगुंधन बोजू गौड़ा	निदेशक 01.04.2022 से
श्री सुरजीत दत्ता	निदेशक 31.03.2022 तक

प्रमुख प्रबंधक कार्मिक (केएमपी) के रूप में चिह्नित अन्य सदस्य

नाम	पद
श्री मसूद अहमद नज़री	मुख्य कार्यकारी अधिकारी 02.08.2021 तक
श्री अतुल कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी 03.08.2021 से
श्री संजीव कुमार गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी 01.07.2021 तक
श्री विनय कुमार आहूजा	मुख्य वित्तीय अधिकारी 01.07.2021 से 31.03.2022 तक
श्रीमती रचना तोमर	मुख्य वित्तीय अधिकारी 01.04.2022 से

कंपनी सचिव

नाम	पद
श्रीमती इति माटा	कंपनी सचिव

(ख) कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	0.95	0.65
2	नियोजन पश्चात लाभ	0.14	0.10
3	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	0.02	0.02
4	अंतिम लाभ		
5	बैठक शुल्क		
	कुल	1.11	0.76

संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वस्तु और सेवाओं की बिक्री				
1.1	संविदा राजस्व	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
1.2	किराया आय	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
2	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	19.88	-
3	प्रतिनियुक्त स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति (आय)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.02	0.02
4	ब्याज व्यय		धारक कंपनी		
4.1	ऋण पर ब्याज व्यय	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	37.71	41.51
5	ऋणों का पुनर्भुगतान	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	526.00	(38.15)
6	प्राप्त अग्रिम / ऋण	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
7	उपयुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लेन-देन	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड - समायोजन योग्य ऋण	धारक कंपनी	13.37	-

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1	प्राप्त इक्विटी (देयता)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	150.00	150.00
4	ऋणों से अन्य वसूलीयोग्य राशि				
4.1	वसूलीयोग्य अग्रिम और	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	13.37	-

	दावे				
2	कर्ज	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	526.00
3	निम्न के प्रति देय राशि				
3.1	व्यापार देयताएं	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	6.37	-
3.2	अन्य देयताएं	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.03	0.17
3.3	रोकी गई धनराशि		धारक कंपनी	0.04	-

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

- (i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म-लैंड संव्यवहारों की शर्तों के समान किया जाता है।
- (ii) ऋण को छोड़कर वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि अरक्षित है और इनका बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज रहित अग्रिमों के अतिरिक्त शेष संव्यवहार ब्याज मुक्त हैं।
- (iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण, यदि कोई हो, उन समान नियम और शर्तों पर है जो अन्य सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं।
- (iv) कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों की कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्षों की वित्तीय स्थिति और उस बाजार से संबंधित होता है, जिसमें वे संव्यवहार करते हैं।
- (v) इरकॉन आईएसजीटीएल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पांच अंशकालिक निदेशक हैं, जो कि धारक कंपनी द्वारा बोर्ड पर नामांकित हैं और वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठने का शुल्क नहीं दिया जाता है।

नोट 25: सेवा रियायत व्यवस्थाएं (एससीए)

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को इड एस 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के "परिशिष्ट "ग"- सेवा नियायत व्यवस्थाओं के अनुसार दर्ज किया जाता है। यह एससीए परिशिष्ट के कार्यक्षेत्रके अंतर्गता आता है क्योंकि नीचे दी गई दोनों शर्तों को पूरा किया जा रहा है:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूति सुविधाओं के साथ कौनसी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए उन्हें प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान किया जाएगा; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्ग में अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को आरंभिक लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) ने 15 जून 2015 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को शिवपुरी गुना सेक्शन के चार लेन की परियोजना के विकास, वित्तपोषण, डिजाइन, इंजीनियर, खरीद, निर्माण, संचालन और रखरखाव करने के लिए अधिकृत किया है और/या और इसके पूरा होने पर इसके उपयोग का अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड का यह दायित्व है कि वह शिवपुरी गुना खंड की चार लेनिंग की परियोजना का निर्माण पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं की संपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 20 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा। समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनएसजीटीएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी निर्माण के पूरा होने के चरण के संदर्भ में इंड एस-115 के अनुसार राजस्व और लागत को स्वीकार करती है। कंपनी संविदा राजस्व को प्राप्य के उचित मूल्य पर स्वीकार करती है। व्यवस्था के निर्माण चरण के दौरान, कंपनी की 725.90 करोड़ की संपत्ति (निर्माण सेवाओं को प्रदान करने हेतु उसके संचित अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए) को अमूर्त संपत्ति (उपयोगकर्ता को प्रभारित करने का लाइसेंस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे वर्ष 2018-19 में पूरा किया गया था। टोल रोड के दूसरे चरण का निर्माण भी शुरू हो गया है और दिनांक 31.03.2022 तक विकासाधीन अमूर्त संपत्ति के तहत 20.69 करोड़ रुपये की राशि दिखाई गई है। द्वितीय चरण के दिनांक 22.05.2022 तक पूरा होने की संभावना है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण पर शून्य लाभ को स्वीकार किया है। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण की दिशा में सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। टोल रोड का प्रचालन दिनांक 07 जून 2018 से शुरू हो गया है और 31.03.2022 का समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने टोल सड़कों के प्रचालन से 120.75 करोड़ रूपए (110.44 करोड़ रुपये) के राजस्व के रूप में उपयोग शुल्क को स्वीकार किया है। ।

रियायत शुल्क और उसके प्रीमियम को राजस्व अर्जित किए जाने हेतु भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे राजस्व के प्रति प्रभार के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार एनएचएआई को 22.86 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 20.72 करोड़ रुपये) के रियायत शुल्क का भुगतान किया गया है। रियायत समझौते के अनुसार ट्रेफिक सीमा से ऊपर एकत्रित उपयोग शुल्क को अतिरिक्त शुल्क कहा जाता है। यह एससीए रियायतकर्ता समझौते के खंड संख्या 28 और 29 के अनुसार पुननिर्धारित होने के कारण है।

निर्माण संविदा

इंड एस-115 : ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

विवरण	(रूपए करोड़ में)	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
निर्माण सेवाओं से स्वीकृत राजस्व	20.69	-
टोल प्रयोग शुल्क से स्वीकृत राजस्व	120.75	110.43
वहन लागत का सकल मूल्य और लाभ व हानि में स्वीकृत	20.69	-
संविदागत कार्यों के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि	-	-

नोट: 26 इंड एस-1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" में यथापेक्षित प्रकटीकरण।

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसका वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

नोट: 27 इंडएस-8 "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां" में यथापेक्षित प्रकटीकरण।

वर्ष के दौरान कंपनी ने "लाभांश" से संबंधित लेखा नीति में बदलाव किया है। कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संशोधित लेखा नीति नीचे दी गई है और इन संशोधनों को बोल्ड करके प्रदर्शित किया गया है।

लेखांकन नीति में प्रस्तावित संशोधन

लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी

जाती है, जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी गई हो। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संबंधित कर, यदि कोई हो, को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

नोट:- 28 कर्मचारी लाभ

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) में कार्यरत कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति/ सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल पर हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन/डेबिट इसकी होल्डिंग कंपनी से लिया जाता है। इंड एस -19 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इसकी धारक कंपनी द्वारा अपनी लेखा नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और पेंशन योगदान को नियमित रूप से पीएफ ट्रस्ट के साथ धारक कंपनी द्वारा जमा किया गया है।

नोट :- 29 लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विदेशी विनिमय

शून्य

नोट 30: प्रति शेयर आय

इंड एस - 33 ' प्रति शेयर आय'

के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना वर्ष के इक्विटी धारकों के लाभ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जिनके रूपांतरण पर जारी की जाएगी इक्विटी शेयरों को संभावित शेयर इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके की जाती है।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रुपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों के लिए लाभ (करोड़ रुपए में)	(ii)	(12.05)	(14.06)
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	15.00	15.00
प्रति शेयर आय (मूल)		(0.80)	(0.94)

प्रति शेयर आय (विलयित)		(0.80)	(0.94)
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (न्यूमेरेटर के रूप में प्रयुक्त) (करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	(12.05)	(14.06)
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए लाभ	(12.05)	(14.06)

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का ओपनिंग बैलेंस	15	15
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	0	0
बेसिक ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	15	15
प्रदूषण प्रभाव:		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	0	0
पतला ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	15	15

नोट 31: परिसंपत्ति की हानि

इंड एस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो, की समीक्षा है। चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई हानि को लेखांकित नहीं किया गया है।

नोट 32: प्रावधान, आकस्मिकताएँ और प्रतिबद्धताएँ

i) प्रावधान

इंड एस 37 के अनुसार, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति हेतु कंपनी द्वारा वर्ष में कोई प्रावधान नहीं नहीं किए गए थे।

(ii) आकस्मिक देयताएं

इंड एस-37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताएं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 तक	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान दावों का निपटान किया गया			31 मार्च 2021 तक
				आरंभिक शेष में से	वर्ष के दौरान संवर्धन में से	वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे	
क) कंपनी के विरुद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया:		-	-	-	-	-	-
ख) कंपनी की ओर से जारी गारंटी (वित्तीय गारंटीधारकों को छोड़कर)		-	-	-	-	-	-
ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

(iii) प्रतिबद्धताएं

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क) पूंजी प्रतिबद्धताएं			
पूंजी खाते (अग्रिम का निवल) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया:	1	37.18	112.12
ख) अन्य प्रतिबद्धताएं			
(i) टोल रोड के रियायतग्राही अवधि के अंत		483.02	505.88

	तक एनएचएआई को देय रियायतग्राही शुल्क (नोट 24 एससीए का संदर्भ लें)			
			520.200	618.00

फुटनोट:

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं	पूजी प्रतिबद्धताएं	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
2	निवेश परिसंपत्ति पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
3	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	37.18	112.12
	कुल	37.18	112.12

नोट 33. खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी केवल एक प्रचालनिक सेगमेंट में प्रचालन कर रही है इसलिए इंड एस-108 "प्रचालनिक सेगमेंट" लागू नहीं है।

नोट 34. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

(क) राजस्व से असंयोजन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु						लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	इंड एस-115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे			-				-
राजमार्ग	143.86	-	143.86	143.86	-	0.21	144.07
इलैक्ट्रिकल			-				-
भवन			-				-
अन्य			-				-
कुल	143.86	-	143.86	143.86	-	0.21	144.07

वर्ष के दौरान इंड एस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 22.77 करोड़ रुपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 121.31 करोड़ रुपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(रुपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे			-				-
राजमार्ग	110.78		110.78	110.78		0.38	111.16
इलैक्ट्रिकल			-				-
भवन			-				-
अन्य			-				-
कुल	110.78		110.78	110.78		0.38	111.16

वर्ष के दौरान इंड एस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, शून्य रुपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 110.78 करोड़ रुपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. टोल टू वाहनों के लिए जारी मासिक पास से राजस्व ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार जारी किया जाता है, जिसकी पूरी राशि ऐसे लेनदेन की तिथि पर राजस्व के रूप में दर्ज की जाती है। ऐसे मासिक पास नॉन रिफंडेबल प्रकृति के होते हैं।

ग. संविदा शेष:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
व्यापार प्राप्य (नोट 8.1)	0.52	0.46
संविदा परिसंपत्तियां	-	-
संविदा दायित्व	-	-

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा टोल एक्वण एजेंसी शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान की शर्तों में उपयोगिता शिफ्टिंग प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान शामिल हैं और 60 से 180 दिनों की ऋण अवधि या जब काम प्रमाणित है, तो किसी भी तरह से सहमत होने पर काम के दायरे में बदलाव। भुगतान में टोल एक्व किए गए टोल के उपयोग के लिए टोल प्राप्तियां भी शामिल हैं। कंपनी के लिए टोल संग्रह एजेंसी। कंपनी द्वारा

निष्पादित परियोजना बीओटी (निर्माण प्रचालन अंतरण) मॉडल के तहत है और भुगतान टोल एकत्रण और एनएचएआई द्वारा अतिरिक्त कार्यों, यदि कोई हो, के कारण है। वर्ष के दौरान संदिग्ध ऋण के प्रावधान के लिए 0.12 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान किराए के कारण मेसर्स सिनर्जी कार्पोरेशन के किराये से संबंधित है।

- (ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती है जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती है। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

- (iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

घ. स्वीकृत राजस्व की राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताओं में शामिल राशि	-	-
पिछले वर्ष संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ड. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों से संबंधित सूचना नीचे सारबद्ध है:

31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित संव्यवहार मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
एक वर्ष के भीतर	-	-
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	-
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

नोट 35 पट्टे

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने कार्यालय परिसर और गेस्ट हाउस के लिए दो पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है। इंड एएस-116 स्वीकर करने से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) के निष्पादन की तारीख को वित्तीय पट्टा या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था। ये पट्टे अल्पकालिक पट्टों या कम मूल्य के पट्टों की प्रकृति के हैं और प्रचालनिक पट्टे हैं।

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार

वर्ष के दौरान स्वीकृत परिसंपत्ति उपयोग अधिकार की वहन राशि और संचलन शून्य है।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति की वहन राशि और संचलन ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक
01 अप्रैल, 2019 को शेष राशि	0.00
संवर्धन	-
ब्याज की स्वीकृति	-
भुगतान	-
राशि 31 मार्च, 2020 को शेष	0.00
चालू	-
गैर चालू	-

लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का मूल्यहास व्यय		
पट्टा देयताओं पर ब्याज खर्च		
अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों संबंधित व्यय (संदर्भ नोट 18)	0.03	0.03
	0.03	0.03

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

"कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा प्रचालित किए जाने हेतु पट्टे पर एनएचएआई के साथ हुए सेवा रियायत करार की शर्तों के भीतर टोल रोक से लगे निर्धारित क्षेत्र प्रदान किया है और शेष क्षेत्र को पट्टे व प्रचालन हेतु सिनर्जी इंजीनियर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है। एचपीसीएल से 0.17 करोड़ रुपये (0.16 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त की गई है और सिनर्जी से पट्टा भुगतानों के रूप में 0.18 करोड़ रुपये (0.16 करोड़ रुपये) प्राप्त किए गए हैं।"

गैर-रद्दकरणीय परिचालन पट्टों के तहत प्राप्य भविष्य का न्यूनतम किराया इस प्रकार है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
एक वर्ष के भीती	0.38	0.35
एक वर्ष से पांच वर्ष तक	1.08	1.24
पांच वर्ष से अधिक	2.40	2.62
	3.86	4.21

नोट 36. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा अपेक्षित अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है:	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	-	-

	उपर्युक्त पर ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	-	-
3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	-	-
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

नोट सं.37 अतिरिक्त विनियामक सूचना

i. अनुपातों का प्रकटन

विवरण	न्यूमरेटर	डिनामिनेटर	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान किराया संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.10	0.17	-41.43%	अनुपात में कमी का कारण तुलनपत्र की तारीख पर कम नकद और नकद समकक्ष है, हालांकि यह अनुपात, कम वर्तमान ऋण चुकौती के कारण समायेजित हो जाता है।
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	8.10	7.13	13.58%	लागू नहीं

कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	1.86	1.03	80.55%	अनुपात में वृद्धि, कंपनी द्वारा कम तिमाही ऋण चुकौती और कम हानि के कारण है।
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	-0.18	-0.17	-2.20%	लागू नहीं
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री - बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	0.99	1.17	-15.34%	लागू नहीं
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद - खरीद वापसी	औसत व्यापार देय	6.34	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	-6.01	-3.16	-90.31%	दूसरे चरण के टोल कार्यों के निष्पादन के कारण सेवा रियायत अनुबंध राजस्व में वृद्धि की वजह से अनुपात में परिवर्तन हुआ है।
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	-0.08	-0.13	34.01%	व्ययों के बेहतर अवशोषण और निश्चित लागतों में वृद्धि के कारण टोल संग्रह में वृद्धि की वजह से शुद्ध लाभ अनुपात में सुधार हुआ है।
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण	-1.12	-3.08	63.71%	इस अनुपात में परिवर्तन, बेहतर ईबीआईटी और चरण-II टोल कार्यों के निष्पादन के कारण विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में वृद्धि की वजह से

			+ आस्थगित कर देयता				हुआ है।
निवेश वापसी	पर	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- ii. कोविड-19 महामारी की अवधि और प्रभाव, विशेष रूप से महामारी की दूसरी लहर के कारण, रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार वर्तमान में स्पष्ट नहीं है। इसलिए, इन परिणामों की अवधि और गंभीरता के साथ-साथ भविष्य की अवधि के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर उनके प्रभाव का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। हालांकि, कंपनी को रियायत अवधि के विस्तार के माध्यम से राजस्व हानि मुआवजे के रूप में अप्रत्याशित घटना के तहत इस तरह के नुकसान का दावा करने के लिए रियायत समझौते के खंड 29.6 द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। लॉकडाउन व्यवधान/कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव का समय-समय पर आकलन करना होगा और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति का अवलोकन करना होगा। यह राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। इसलिए, इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव का पूर्वानुमान सही नहीं होगा।
- iii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- iv. बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।
- v. कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाईयों) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं को, या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं।
- vi. कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी: (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की प्रदान करें।
- vii. कंपनी के पास प्रमोटर्स, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।
- viii. कंपनी की लेखा नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में कोई बदलाव नहीं है।
- ix. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।
- x. कंपनी के पास, कंपनी के नाम पर रखी गई अचल संपत्तियों का कोई शीर्षक विलेख नहीं है।

- xi. कंपनी को बैंक के साथ वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के साथ दायर किए गए विवरण और खात बहियों के समायोजन का प्रावधान लागू नहीं है।
- xii. कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।
- xiii. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की किसी भी वस्तु का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- xiv. कंपनी का ऐसा कोई लेनदेन नहीं है, जहां कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिसके लिए इसे तुलनपत्र की तारीख में लिया गया था।
- xv. कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जो उन लेखा बहियों में दर्ज नहीं है जिन्हें बाद में आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण) के तहत या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत चल रहे कर निर्धारण के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकटन किया गया है। या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।
- xvi. कंपनी को कोई अनुदान और दान नहीं मिला है।
- xvii. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
- xviii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है।
- xix. सांविधिक अवधि के बाद कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या शुल्क की संतुष्टि नहीं है।
- xx. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना (योजनाओं) में प्रवेश नहीं किया है।
- xxi. चूंकि कंपनी के पास बहियों में कोई पट्टा नहीं है, इसलिए किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

नोट सं.38 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत शामिल नहीं है और इस अवधि के दौरान कोई सीएसआर व्यय नहीं किया गया है।

नोट सं.39 अन्य प्रकटन

क) देनदारों, अग्रिमों और लेनदारों के तहत दिखाए गए कुछ शेष राशि पुष्टि/समाधान/समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी पार्टियों को पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है। हालाँकि, कंपनी इनकी वसूली/भुगतान के संबंध में किसी भी भौतिक विवाद की अपेक्षा नहीं करती है।

ख) प्रबंधन की राय में, व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा, जिस पर ये तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं।

ग) कुछ पूर्व अवधियों की राशियों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुतियों के साथ समायोजन हेतु पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इन पुनर्वर्गीकरण का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही, चालू वर्ष के आंकड़ों से अंतर करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े ब्रैकेट () के तहत दिखाए गए हैं।

कृते पी.आर.कुमार एंड
कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण
सं:003186एन

ह/-

(सीए दीपक श्रीवास्तव)
साझेदार
सं.सं: 501615

ह/-

(मसूद अहमद)

निदेशक

डीआईएन: 09008553

ह/-

(अतुल कुमार)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-

(मुगुंथन बोजू गोडा)

निदेशक

डीआईएन: 08517016

ह/-

(रचना तोमर)

मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-

(इति माटा)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 17.05.2022

**नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक
की टिप्पणियां**



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
रेलवे वाणिज्यक, नई दिल्ली
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
RAILWAY COMMERCIAL, NEW DELHI
4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 4, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002

126



संख्या/पी.डी.ए/आर.सी/ISGTL/AA/48-16/2022-23/ 221

दिनांक: 02.08.2022

सेवा में,

निदेशक,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली -110017.

महोदय,

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मैं इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नको सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संगलंक: यथोपरी

विक्रम डी. मुरुगराज
02.08.2022
विक्रम डी. मुरुगराज
प्रधान निदेशक (रेलवे वाणिज्यिक)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 17 मई 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है और यह कुल लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-

(विक्रम डी. मुरुगराज)

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक

रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 02.08.2022



इरकाँन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (‘इरकाँनएसजीटीएल’)

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-29565666 | फ़ैक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी: irconsctl@gmail.com